रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2000/आषाढ़ 28, 1922

No. 471] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2000/ASADHA 28, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2000

का. आ. 670 (अ).—ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन) नियम, 2000 का प्रारूप भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 69(अ), तारीख 25 जनवरी, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (iii) तारीख 25 जनवरी, 2000 में पृष्ठ 1—38 पर, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 26-01-2000 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार ने जनता से उक्त प्रारूप नियमों की यथावत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकारी" से, अनुसूची 5 के स्तम्भ (4) और स्तम्भ (6) में वर्णित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "आधार स्तर" से ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की वह मात्रा अभिप्रेत है जिसका अनुसूची 2 के स्तम्भ (3) और अनुसूची 3 में सूचीबद्ध वर्ष या वर्षों के औसत में, यथास्थिति, उत्पादन या उपभोग किया गया है;

(घ) "उपभोग" से किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की बाबत उक्त पदार्थ की वह मात्रा अभिप्रेत है जो आयात की गई मात्रा के अलावा और भारत में उत्पादित उसमें से निर्यात की गई मात्रा घटाकर निकाली गई हो;

(ङ) यथास्थिति, "उत्पादन, विक्रय, आयात या निर्यात के परिकलित स्तर" से ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की मात्रा का अनुसूची 1 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट उसके ओजोन अवक्षयकारी मात्रा के गुणज से अवधारित स्तर अभिप्रेत है;

(च) "उपभोग का परिकलित स्तर" उत्पादन और आयात के परिकलित स्तरों को आपस में जोड़कर और निर्यात के परिकलित स्तर को उसमें से घटाकर अवधारित किया जाएगा;

(छ) "समूह" से अनुसूची 1 के स्तम्भ (4) मे यथाविनिर्दिष्ट एक या अधिक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का संग्रहण अभिप्रेत है;

(ज) किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के संबंध में "विनिर्माण" के अन्तर्गत—

(i) विक्रय, वितरण या उपयोग करने की दृष्टि से किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के बनाने, उसमें परिवर्तन करने, परिशोधित करने, पैक करने, लेबल लगाने, सम्मिश्रित करने या अन्यथा उपचारित करने या ग्रहण करने या कोई ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ जो विक्रय, वितरण या उपयोग के लिए है, की कोई प्रक्रिया या प्रक्रिया का भाग आता है किन्तु इसके अन्तर्गत फुटकर कारबार के सामान्य अनुक्रम में किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ को पुनः पैक करना या खंडित करना नहीं आता है; और

(ii) कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ से युक्त निर्मिति का सूत्रीकरण किया जाता है।

(झ) "ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ" से अनुसूची 1 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ अभिप्रेत है, चाहे वह स्वयं अस्तित्व में हो या किसी मिश्रण में हो, किन्तु इसमें ऐसा कोई पदार्थ या मिश्रण (सम्मिश्रण) सम्मिलित नहीं है जो ऐसे पदार्थ के परिवहन या भंडारण के लिए प्रयुक्त आधान से भिन्न विनिर्मित उत्पाद में है;

(ञ) "पक्षकारों" से जब तक विषय में अन्यथा उपबंधित न हो, इस प्रोटोकाल के पक्षकार अभिप्रेत हैं;

(ट) "तदानपूर्व उपयोजन" वे व्यवहार हैं, जिनका प्रत्यक्षतः निर्यात के संबंध में और उससे पूर्व उपयोजन, आयातक देश के फाइटो सैनेटरी या सैनेटरी अपेक्षाओं या निर्यातक देश की विद्यमान फाइटो सैनेटरी या सैनेटरी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है;

(ठ) किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के संबंध में उत्पादन से किसी कच्ची सामग्री या फीड स्टाक रसायनों से किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का विनिर्माण अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है :—

(i) किसी ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, जिसका उपभोग और संपूर्ण खपत (सूक्ष्म मात्रा के सिवाय) अन्य रसायनों के विनिर्माण में की जाती है; या

(ii) वे मात्राएं, जिनका उत्पादन अन्य रासायनिक पदार्थों के विनिर्माण में आनुषंगिक रूप से किया जाता है; या

(iii) मात्राएं, जिनका पुनः चक्रण या पुनः उपयोग किया जाता है; या

(iv) मात्राएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली प्रौद्योगिकियों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं।

(ड) "प्रोटोकाल" से ऐसे पदार्थों पर, जो ओजोन परत का अवक्षयण करते हैं, 16 सितम्बर, 1987 को अंगीकृत मोन्ट्रीयल प्रोटोकाल अभिप्रेत है;

(ढ) अनुसूची 1 के समूह 8 के ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की बाबत "करन्तीन उपयोजन" वे व्यवहार हैं, जो करन्तीन नाशकजीवों के (जिसमें रोग भी हैं) प्रवेश, स्थापना और/या फैलने का निवारण करने अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उनका नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए हैं;

(ण) "बरामद करना" से सर्विसिंग के दौरान या व्ययन से पूर्व मशीनरी, उपस्कर या संरोधित जलयान से ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का संग्रहण और भंडारण अभिप्रेत है;

(त) "उपयोगी बनाने" से बरामद किए गए ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का, किसी विनिर्दिष्ट निष्पादन स्तर तक प्रत्यावर्तित करने के लिए ऐसी रीति जैसे फिल्टर करने, सुखाने, आसवन करने और/या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पुनः प्रसंस्करण और उन्नत करना अभिप्रेत है।

(2) "अनुसूची" से इस नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

3. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग का विनियमन

(1) कोई व्यक्ति, अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का उत्पादन तब तक नहीं करेगा या कराएगा जब तक कि वह उक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत न हो :

परन्तु अनुसूची 2 के स्तम्भ (6) में विनिर्दिष्ट तारीख को प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि के लिए और उसके पश्चात् प्रत्येक बारह माह की अवधि मे कोई व्यक्ति उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट उत्पादन के उसके परिकलित आधार स्तर के तत्सम प्रतिशत से अधिक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के किसी समूह का उत्पादन नही करेगा या उत्पादन नहीं कराएगा :

परन्तु यह और कि भारत में ऐसे पदार्थों के उपभोग का परिकलित स्तर, आधार वर्षों में उपभोग के परिकलित स्तर के प्रतिशत के रूप में अनुसूची 2 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगा।

(2) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2000 से 1 जनवरी, 2010 तक की अवधि के दौरान अनुसूची 1 के स्तम्भ (4) में समूह I और समूह III के रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का अनुसूची 3 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक उत्पादन नहीं करेगा या उत्पादन नहीं कराएगा।

आधार वर्ष में उपभोग के परिकलित स्तर के रूप में भारत में ऐसे पदार्थों के उपभोग का परिकलित स्तर अनुसूची के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगा :

(3) कोई व्यक्ति जिसने प्रोटोकाल के, जिसकी केन्द्रीय सरकार, अनुसूची 1 के स्तम्भ (4) में समूह I और समूह III के रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन में आनुक्रमिक कमी करने के लिए पक्षकार है, अनुच्छेद 10 और 10क के अनुसरण में बहुपक्षीय निधि से वित्तीय सहायता ली है, 1 जनवरी, 2000 से 1 जनवरी, 2010 तक प्रत्येक वर्ष, बहुपक्षीय निधि की कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित करार के अनुसार, अनुसूची 1 के स्तम्भ (4) में समूह I और III के रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को, अनुसूची 3 के स्तम्भ (6) में दिए गए विनिर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष के लिए स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट मात्राओं तक सीमित करेंगे। उपनियम (3) में निर्दिष्ट करार के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार सीएफसी के उत्पादन के लिए कोटा प्रणाली जैसी कार्यान्वयन रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। ऐसी रूपरेखा के अननुपालन का परिणाम, करार में अधिकथित पारिणामिक शास्तियां होगा।

4. ऐसे देशों को निर्यात या उनसे आयात का प्रतिषेध जो अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट नहीं है।

कोई व्यक्ति, इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का, ऐसे देशों से, न तो आयात करेगा और न आयात कराएगा और न तो निर्यात करेगा, और न निर्यात कराएगा, जो अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट नही है।

5. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट देशों को निर्यात या उनसे आयात केवल अनुज्ञप्ति के अधीन ही किया जाएगा

(1) कोई व्यक्ति अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट किसी देश से किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का तब तक न तो आयात करेगा और न आयात कराएगा अथवा न तो निर्यात करेगा और न तो निर्यात कराएगा जब तक कि वह प्राधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर लेता है।

(2) उपनियम I(1) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि उक्त प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि अनुज्ञप्ति के मंजूर किए जाने से सुसंगत बारह माह की अवधि में ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उस समूह के (अनुसूची 1 के स्तम्भ (4) में दिए गए समूह I और समूह III से भिन्न) उपभोग का परिकलित स्तर, आधार वर्षों में तत्समय परिकलित उपभोग के प्रतिशत के रूप में अनुसूची 2 I के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगा।

(3) उप नियम I (1) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि उक्त प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि अनुज्ञप्ति के मंजूर किए जाने से अनुसूची 3 के स्तम्भ (6) में विनिर्दिष्ट सुसंगत बारह मास की अवधि में अनुसूची I के स्तम्भ (4) में समूह I और समूह III में विहित ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उपभोग का परिकलित स्तर,आधार वर्षों में परिकलित उपभोग के प्रतिशत के रूप में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगा।

(4) ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के प्रत्येक समूह के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए उपभोग का परिकलित आधार-स्तर और उत्पादन का परिकलित आधार-स्तर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

6. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के विक्रय का विनियमन

(1) कोई व्यक्ति, स्वयं या उसके निमित किसी व्यक्ति द्वारा या कोई उद्यम अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का विक्रय स्टाक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत न हो :

परन्तु कोई व्यक्ति या कोई उद्यम, अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के लिए उक्त अनुसूची I के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का विक्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि उक्त क्रियाकलाप में लगे हुए व्यक्ति ने स्वयं को प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत न करा लिया हो और इन नियमों के अनुसार घोषणा न दे दी हो तथा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का विक्रय करने वाले व्यक्ति ने घोषणा में दी गई रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के साथ, अनुसूची 12 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन न कर लिया हो :

परन्तु यह और कि अनुसूची 4 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् कोई व्यक्ति या कोई उद्यम, स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट अवक्षयकारी पदार्थों का उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के लिए विक्रय, स्टाक, वितरण या प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही विक्रय, स्टाक, वितरण या प्रदर्शन कराएगा।

(2) कोई व्यक्ति, स्वयं या उसके निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा या कोई उद्यम किसी ऐसे व्यक्ति या उद्यम को, जिसने केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी दी है कि वह या ऐसा उद्यम विनिर्माण में या अन्य क्रियाकलापों में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात उपयोग नहीं करेगा, किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का विक्रय, स्टाक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण नहीं करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार उन व्यक्तियों, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों और ऐसी तारीखों की, जिनकी जानकारी उसे उपनियम I (2) के अधीन दी गई है, सूची अधिसूचित करेगी।

7. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के क्रय का विनियमन

कोई व्यक्ति,स्वयं या उसके निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा या कोई उद्यम, अनुसूची 4 के स्तम्भ (3)में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के लिए ऐसे ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का स्टाक करने के लिए या उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति से तब तक क्रय नहीं करेगा जब तक कि उसने अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) के क्रम संख्यांक 4 में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर ऐसे पदार्थों के विक्रेता को अनुसूची 12 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट घोषणा न दे दी हो:

8. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उपयोग का विनियमन

(1) कोई व्यक्ति या उद्यम, अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी क्रियाकलाप में जिसमें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उपयोग होता है, अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् तब तक नहीं लगेगा जब तक कि वह उस अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं हो जाता है।

(2) कोई व्यक्ति, अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे क्रियाकलाप को, जिसमें उस अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उपयोग होता है, तब तक नहीं करेगा जब तक उत्पादों पर उनमें अन्तर्विष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ उपदर्शित करने वाला लेबल न लगा हो।

(3) कोई व्यक्ति, अनुसूची 4 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात्, उस अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी किसी क्रियाकलाप को नहीं करेगा जिसमें स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का उपयोग होता है।

(4) कोई व्यक्ति, अनुसूची 4 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप को, स्तम्भ (3) में वर्णित ओ.अ.प. के उपयोग को अनुपस्थिति उपदर्शित करने वाले लेबल का उपयोग किए बिना नहीं करेगा।

(5) ऐसा व्यक्ति, जिसने ओजोन परत का अवक्षयण करने वाले पदार्थों पर मान्ट्रीयल प्रौटोकाल के, जिसकी केन्द्रीय सरकार, अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में उपयोग किए जाने वाले, अनुसूची 2 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को समाप्त करने के लिए, पक्षकार है, अनुच्छेद 10 और 10क के अनुसरण में बहुपक्षीय निधि से वित्तीय और तकनीकी सहायता ली है, स्वयं या उनकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी उद्यम द्वारा संपरिवर्तन कार्य के पूरा होने की तारीख के या ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ तकनीकी से ओजोन गैर अवक्षयकारी पदार्थ तकनीक में परिवर्तन

को सौंपने के प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर करने की तारीख के पश्चात् अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा जिसमें अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उपयोग होता है और उक्त तारीख को अनुसूची 5 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्टर की जाएगी।

(6) ऐसा व्यक्ति या कोई उद्यम, जिसने ओजोन परत का अवक्षयण करने वाले पदार्थों पर मान्ट्रीयल प्रोटोकाल के अनुच्छेद 10 और 10क के अनुसार बहुपक्षीय निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त की है, अनुसूची 5 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को एक शपथपत्र/घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें यह कथन होगा कि ओ. डी. एस. तकनीक से गैर ओ डी एस तकनीक में संपरिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होने के परिणामस्वरूप प्रतिस्थापित उपस्कर को नष्ट कर लिया है, खोल दिया है, अनुपयोगी बना दिया गया है और यह कि परियोजना के पूरा होने की तारीख के पश्चात् किसी सी एफ सी का उपयोग नहीं किया जाएगा और उक्त तारीख अनुसूची 5 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्टर की जाएगी।

9. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों में नए विनिधानों का प्रतिशोध—

(1) कोई व्यक्ति, अनुसूची 2 के स्तम्भ (7) और अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात्, किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उत्पादन के लिए विनिर्माण की सुविधा की स्थापना या विस्तार नहीं करेगा अथवा स्थापना या विस्तार नहीं कराएगा।

(2) कोई व्यक्ति, अनुसूची 2 के स्तम्भ (8) और अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात्, ऐसे उत्पादों के विनिर्माण करने की दृष्टि से, जिसमें कोई ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ अन्तर्विष्ट है या वह उससे बना है, विनिर्माण की सुविधा की स्थापना या विस्तार नहीं करेगा अथवा स्थापना या विस्तार नहीं कराएगा।

(3) ऐसा व्यक्ति, जिसने ओजोन परत का अवक्षयण करने वाले पदार्थों पर मान्ट्रीयल प्रोटोकाल के, जिसकी केन्द्रीय सरकार, अनुसूची 3 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को, जिनका अनुसूची 2 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में उपयोग होता है, समाप्त करने के लिए, पक्षकार है, अनुच्छेद 10 और 10क के अनुसार बहुपक्षीय निधि से वित्तीय और तकनीकी सहायता ली है, संपरिवर्तन के लिए परियोजना के अनुमोदन के और ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ तकनीकी से गैर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ तकनीकी में संपरिवर्तन कार्य पूरा होने की तारीख के पश्चात् किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उत्पादन के लिए या ऐसे उत्पादों के, जो किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से युक्त हैं अथवा उससे बनाए जाते हैं, विनिर्माण की दृष्टि से किसी विनिर्माण सुविधा की स्थापना या विस्तार नहीं करेगा अथवा उनकी स्थापना या विस्तार नहीं कराएगा।

10. ऐसे उत्पादों के आयात, निर्यात और विक्रय का विनियम जो ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से बने हैं या जिसमें वह अन्तर्विष्ट है—

(1) कोई व्यक्ति, अनुसूची 7 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी उत्पाद का आयात, जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से बने हैं या जिसमें वह अन्तर्विष्ट हैं उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् तब तक नहीं करेगा या नहीं कराएगा जब तक वह प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त नहीं कर लेता :

परन्तु ऐसे उत्पादों पर, जिनमें ऐसे ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ अन्तर्विष्ट नहीं हैं, अनुसूची 7 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् उसका आयात अनुज्ञात किए जाने से पहले इस प्रभाव का लेबल लगा होगा।

(2) कोई व्यक्ति या उद्यम, अनुसूची 7 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किसी उत्पाद का निर्यात, उस अनुसूची के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् तब तक नही करेगा या कराएगा, जब तक ऐसे उत्पाद पर यह विनिर्दिष्ट करते हुए लेबल न लगा हो कि उत्पाद, उस अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से, यथास्थिति, बनाया गया है अथवा नहीं या जिसमें वह अन्तर्विष्ट है या नहीं है।

(3) कोई व्यक्ति, स्वयं या उसके निमित किसी अन्य व्यक्ति या उद्यम द्वारा, अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे क्रियाकलापों के पारिणामिक किसी उत्पाद का या सेवाओं की व्यवस्था का, जिसमें स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उस अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् विक्रय, स्टाक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण नहीं करेगा।

11. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उपयोगी बनाने और नष्ट करने का विनियमन—

(1) कोई व्यक्ति, अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ को तब तक उपयोगी नहीं बनाएगा या उपयोगी नहीं बनाने देगा जब तक कि वह उस अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत न हो।

(2) कोई व्यक्ति अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् किसी ओजोन अवक्षयकारी को तब तक नष्ट नहीं करेगा या नष्ट नहीं कराएगा जब तक कि वह उस अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत न हो।

12. संपीड़ित्रों के विनिर्माण, आयात और निर्यात का विनियमन:—

(1) कोई व्यक्ति, अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् संपीड़ित्रों का विनिर्माण, आयात या निर्यात तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उस अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत न हो।

13. रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण और ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील के लिए प्रक्रिया—

(1) इन नियमों के विभिन्न उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया और रजिस्ट्रीकरण की शर्तें वे होंगी, जो अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, यह समाधान नहीं होने पर कि रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया या रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का पालन नहीं किया गया है, रजिस्टर नहीं करेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण की किसी शर्त (शर्तों) का अतिक्रमण किया गया है।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा और आदेश लिखित रूप में होंगे।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अनुसूची 5 के स्तम्भ (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने के तीस दिन के भीतर होगी।

(6) रजिस्ट्रीकरण, अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगा और उसका नवीकरण आवश्यक होगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रक्रिया और उसकी शर्तें वही होंगी जो रजिस्ट्रीकरण के लिए लागू हैं।

14. मानीटर करने और रिपोर्ट करने की अपेक्षाएं—

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का उत्पादन आयात, निर्यात या विक्रय करता है, अनुसूची 10 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट रीति से अभिलेख रखेगा और रिपोर्ट फाइल करेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में उपयोग के लिए किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का स्टाक करता है या उसका क्रय करता है, अनुसूची 10 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट रीति से अभिलेख रखेगा और रिपोर्ट फाइल करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से तकनीकी या वित्तीय सहायता या कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की हो जिसमें केन्द्रीय सरकार से कोई रियायत या शुल्कों के संदाय से छूट सम्मिलित हैं, अनुसूची 10 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट रीति से अभिलेख रखेगा और रिपोर्टें फाइल करेगा। ऐसे व्यक्तियों की सूची केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(4) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उपयोगी बनाने की सुविधा है, अनुसूची 10 के भाग 4 में विनिर्दिष्ट रीति से अभिलेख रखेगा और रिपोर्ट फाइल करेगा।

(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ को नष्ट करने की सुविधा है, अनुसूची 10 के भाग 5 में विनिर्दिष्ट रीति में अभिलेख रखेगा और रिपोर्ट फाइल करेगा।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, जो संपीड़ित्रों का विनिर्माण, आयात, निर्यात या विक्रय करता है, अनुसूची 10 के भाग 6 में विनिर्दिष्ट रीति में अभिलेख रखेगा और रिपोर्ट फाइल करेगा।

(7) उपरोक्त उपनियमों के अनुसार बनाए जा रहे अभिलेख अनुसूची 10 के भाग 7 में विनिर्दिष्ट रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

15. छूट—

इन नियमों की कोई बात अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट उपयोजनों या परिस्थितियों को लागू नहीं होगी।

अनुसूची-I

[नियम 2 (इ.),(ढ), 3(2), (3) और 5(3) देखिए]

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की सूची

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का रासायनिक सम्मिश्रण	समूह	ओजोन अवक्षयकारी विभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी.एफ.सी.—11	ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथैन (CCl_3F)	I	1.0
2.	सी.एफ.सी.—12	डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथैन (CCl_2F_2)	I	1.0
3.	सी.एफ.सी.—113	ट्राइक्लोरोट्राइफ्लोरोएथेन ($C_2Cl_3F_3$)	I	0.8
4.	सी.एफ.सी.—114	डाइक्लोरो टैट्राफ्लोरोथेन ($C_2Cl_2F_4$)	I	1.0
5.	सी.एफ.सी.—115	क्लोरोपेन्टाक्लोरोएथेन (C_2ClF_5)	I	0.6
6.	हैलोन—1211	बरोमोक्लोरोडाइफ्लतरोमेथैन (CF_2BrCl)	II	3.0
7.	हैलोन—1301	बरोमोट्राइफ्लोरोमेथैन (CF_3Br)	II	10.0
8.	हैलोन—2402	डाइबरमोटैट्राफ्लोरोमेथैन ($C_2F_4Br_2$)	II	6.0
9.	सी.एफ.सी.—13	क्लोरोट्राइफ्लतरोमेथैन ($CClF_3$)	III	1.0
10.	सी.एफ.सी.—111	पेन्टाक्लिोरोफ्रतरोएथेन (C_2Cl_5F)	III	1.0
11.	सी.एफ.सी.—112	टैट्राक्लोरोडाइफ्लोरोमेथैन ($C_2Cl_4F_2$)	III	1.0
12.	सी.एफ.सी.—211	हैपराक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (C_3Cl_7F)	III	1.0
13.	सी.एफ.सी.—212	हैक्साक्लोरोडाइफ्लोरोप्रोपेन ($C_3Cl_6F_2$)	III	1.0
14.	सी.एफ.सी.—213	पेन्टाक्लोरोट्राफ्लतलोरोप्रोपेन ($C_3Cl_5F_3$)	III	1.0
15.	सी.एफ.सी.—214	टैट्राक्लोरोटैट्राफ्लोरोप्रोपेन ($C_3Cl_4F_4$)	III	1.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	सी.एफ.सी.—215	ट्राइक्लोरोपेन्टाफ्लोरोप्रोपेन ($C_3F_5Cl_3$)	III	1.0
17.	सी.एफ.सी.—216	डाइक्लोरोहैक्साफ्लोरोप्रोपेन ($C_3F_6Cl_2$)	III	1.0
18.	सी.एफ.सी.—217	क्लोरोहैप्टाफ्लोरोप्रोपेन (C_3F_7Cl)	III	1.0
19.	कार्बन टैट्राक्लोराइड	टैट्राक्लोरोपेथैन (CCl_4)	IV	1.1
20.	मेथिल क्लोरोफार्म	1, 1, 1—ट्राइक्लोरोएथेन (CH_3CCl_3)	V	0.1
21.	एच.सी.एफ.सी.—21	डाइक्लोरोफ्लोरोमेथैन ($CHCl_2F$)	VI	0.04
22.	एच.सी.एफ.सी.—22	क्लोरोडाइफ्लोरोमेथैन ($CHClF_2$)	VI	0.055
23.	एच.सी.एफ.सी.—31	क्लोरोफ्लोरोमेथैन (CH_2ClF)	VI	0.02
24.	एच.सी.एफ.सी.—121	टैट्राक्लोरोफ्लोरोमेथैन (C_2HCl_4F)	VI	0.04
25.	एच.सी.एफ.सी.—122	ट्राइक्लोरोडाइफ्लोरोएथैन ($C_2HCl_3F_2$)	VI	0.08
26.	एच.सी.एफ.सी.—123	2, 2-ड्राइक्लोरो—1,1,1 ट्राइफ्लोरोएथैन ($CHCl_2CF_3$)	VI	0.06
27.	एच.सी.एफ.सी.—123क	1.2 डाइक्लोरो—1,1,2 ट्राइफ्लोरोएथैन ($CHClFCClF_2$)	VI	0.02
28.	एच.सी.एफ.सी.—124	2—क्लोरो—1,1,1,2—ट्राइफ्लोरोएथैन (C_2HClF_4)	VI	0.04
29.	एच.सी.एफ.सी.—124क	2—क्लोरो—1,1,2, 2—ट्राइफ्लोरोएथैन (CHF_2CClF_2)	VI	0.022
30.	एच.सी.एफ.सी.—131	डाइक्लोरोफ्लोरोएथैन ($C_2H_2Cl_2F$)	VI	0.05
31.	एच.सी.एफ.सी.—132	डाइक्लोरोडाइफ्लोरोएथैन ($C_2H_2Cl_2F_2$)	VI	0.05
32.	एच.सी.एफ.सी.—133	क्लोराट्राइफ्लोरोएथैन ($C_2H_2ClF_3$)	VI	0.06
33.	एच.सी.एफ.सी.—141	डाइक्लोरोफ्लोरोएथैन ($C_2H_3Cl_2F$)	VI	0.07
34.	एच.सी.एफ.सी.—141 ख	1, 1—डाइक्लोरो—1 फ्लोरोएथैन (CH_3CCl_2F)	VI	0.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.	एच.सी.एफ.सी.—142	क्लोरोडाइफ्लोरोएथैन (सी, एच, एफ, सीएल)	VI	0.07
36.	एच.सी.एफ.सी.—142 ख	1—क्लोरो—1,1 डाइफ्लोरोएथैन (सी एच, सी एफ, सीएल)	VI	0.065
37.	एच.सी.एफ.सी.—151	क्लोरोफ्लोरोएथैन (सी, एच, एफ सीएल)	VI	0.005
38.	एच.सी.एफ.सी.—221	हैक्साक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ सीएल,)	VI	0.07
39.	एच.सी.एफ.सी.—222	पेन्टाक्लोरोडाइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, सीएल,)	VI	0.09
40.	एच. सी. एफ. सी.—223	टेट्राक्लोरोट्राइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, सीएल,)	VI	0.08
41.	एच. सी. एफ. सी.—224	ट्राइक्लोरोटैट्राफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, सीएल,)	VI	0.09
42.	एच. सी. एफ. सी.—225	डाइक्लोरोपेन्टाफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, सीएल,)	VI	0.07
43.	एच. सी. एफ. सी.—225सीए	1, 3—डाइक्लोरो—1, 2, 2, 3, 3—पेन्टाफ्लोरोप्रोपेन (सी एफ, सीएफ, सी एच सीएल,)	VI	0.025
44.	एच. सी. एफ. सी.—225 सीबी	1,3—डाइक्लोरो—1, 2, 2, 3, 3—पेन्टाफ्लोरोप्रोपेन (सी एफ, सी एल सी एफ, सी एच सीएल एफ)	VI	0.033
45.	एच. सी. एफ. सी.—226	क्लोरोहेक्साफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, सीएल)	VI	0.10
46.	एच. सी. एफ. सी.—231	पेन्टाक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ सीएल,)	VI	0.09
47.	एच. सी. एफ. सी.—232	ट्राइक्लोरोडाइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, सीएल,)	VI	0.10
48.	एच. सी. एफ. सी.—233	ट्राइक्लोरोट्राइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, सीएल,)	VI	0.23
49.	एच. सी. एफ. सी.—234	डाइक्लोरोटेट्राफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, सीएल,)	VI	0.28
50.	एच. सी. एफ. सी.—235	क्लोरोपेन्टाफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, सीएल)	VI	0.52
51.	एच. सी. एफ. सी.—241	टैट्राक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ सीएल,)	VI	0.09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52.	एच. सी. एफ. सी.—242	ट्राइक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, सीएल,)	VI	0.13
53.	एच. सी. एफ. सी.—243	डाइक्लोरोट्राइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, सीएल,)	VI	0.12
54.	एच. सी. एफ. सी.—244	क्लोरोटैट्राफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, सीएल)	VI	0.14
55.	एच. सी. एफ. सी.—251	ट्राइक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ सीएल,)	VI	0.01
56.	एच. सी. एफ. सी.—252	डाइक्लोरोडाइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, सीएल,)	VI	0.04
57.	एच. सी. एफ. सी.—253	क्लोरोट्राइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, सीएल	VI	0.03
58.	एच. सी. एफ. सी.—261	डाइक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ सीएल,)	VI	0.02
59.	एच. सी. एफ. सी.—262	क्लोरोडाइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, सीएल)	VI	0.02
60.	एच. सी. एफ. सी.—271	क्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ सीएल)	VI	0.03
61.	बी. एफ. सी.—21बी2	डाइक्रोमोफ्लोरो मेथेन (सी एच एफ बी आर,)	VII	1.00
62.	एच. बी. एफ. सी.—22बी1	ब्रोमोडाइफ्लोरोमेथेन (सी एच एफ, बी आर)	VII	0.74
63.		ब्रोमोफ्लोरोमेथेन (सी एच, एफ बी आर)	VII	0.73
64.		टैट्राक्रोमोफ्लोरोएथेन (सी, एच एफ बी आर,)	VII	0.8
65.		ट्राइक्रोमोडाइफ्लोरोएथेन (सी, एच एफ, बी आर,)	VII	1.8
66.	एच. बी. एफ. सी.—123बी2 एच. बी. एफ. सी.—123एबी2	डाइक्रोमोट्राइफ्लोरोएथेन (सी, एच एफ बी आर,)	VII	1.6
67.	एच. बी. एफ. सी.—124बी1	ब्रोमोटैट्राफ्लोरोएथेन (सी, एच एफ, बी आर)	VII	1.2
68.		ट्राइक्रोमोफ्लोरोएथेन (सी, एच, एफ बी आर,)	VII	1.1
69.		डाइक्रोमोडाइफ्लोरोएथेन (सी, एच, एफ, बी आर,)	VII	1.5
70.		ब्रोमोट्राइफ्लोरोएथेन (सी, एच, एफ, बी आर)	VII	1.6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71.		डाइबरोमोफ्लोरोएथैन (सी, एच, एफ बी आर,)	VII	1.7
72.	एच. बी. एफ. सी.—124 बी,	बरोमोडाइफ्लोरोएथैन (सी, एच, एफ, बी आर)	VII	1.1
73.	एच. बी. एफ. सी.—124बी,	बरोमोफ्लोरोएथैन (सी, एच, एफ बी आर)	VII	0.1
74.		हैक्साबरोमोफ्लोरोएथैन (सी, एच एफ बी, आर,)	VII	1.5
75.		पेन्टाबरोमोडाइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, बी आर,)	VII	1.9
76.		टैट्राबरामोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, बी आर,)	VII	1.8
77.		ट्राइबरोमोटैट्राफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, बी आर,)	VII	2.2
78.		डाइबरोमोपेन्टाफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, बी आर,)	VII	2.0
79.		बरोमोहैक्साफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, बी आर)	VII	3.3
80.		पेन्टाबरोमोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ बी आर,)	VII	1.9
81.		टैट्राबरोमोडाइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर,)	VII	2.1
82.		ट्राइबरोमोट्राइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर,)	VII	5.6
83.		डाइबरोमोटैट्राफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर,)	VII	7.5
84.		बरोमोपेन्टाफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर)	VII	1.4
85.		टैट्राबरोमोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ बी आर,)	VII	1.9
86.		ट्राइबरोमोडाइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर,)	VII	3.1
87.		डाइबरोमोट्राइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर,)	VII	2.5
88.		बरोमोटैट्राफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर)	VII	4.4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
89.		ट्राइबरोमोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ बी आर,)	VII	0.3
90.		डाइबरोमोडाइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर,)	VII	1.0
91.		बरोमोट्राइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर)	VII	0.8
92.		डाइबरोमोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ बी आर,)	VII	1.4
93.		बरोमोडाइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर)	VII	0.8
94.		बरोमोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ बी आर)	VII	0.7
95.		मिथायल बरोमाइड (सी एच, बी आर)	VII	0.6

अनुसूची 2

[नियम 2 (ग), 3(1), 5(2) और 9 देखिए]

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह के उत्पादन और उपभोग का विनियमन

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	आधारिक स्तर से संबंधित वर्ष	सम्पूर्ण समूह का बारह मास की अवधि में आधारिक स्तर की प्रतिशतता के रूप में अधिकतम अनुज्ञेय उत्पादन
(1)	(2)	(3)	(4)
1क	II	1995—1997	110
ख	II	1995—1997	60
ग	II	1995—1997	0
2क	IV	1998—2000	25
ख	IV	1998—2000	0
3क	V	1998—2000	1105
ख	V	1998—2000	80
ग	V	1998—2000	40
घ	V	1998—2000	0
4क	VI	2015↑—2016*	1105
ख	VI	2015	0
5	VII	0	0
6क	VIII	1995—1998	110
ख	VIII	1995—1998	80
ग	VIII	1995—1998	0

*अनुसूची 1 के हाइड्रोक्लोरो फ्लुओरो कार्बनों (समूह 6 के अधीन ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ) के उत्पादन और उपभोग के लिए निर्धारण वर्ष।

↑ सभी समूह 6 पदार्थों के लिए 2015 आधारिक स्तर है।

संपूर्ण समूह के लिए आधारिक वर्षों का परिकलित उपभोग प्रतिशतता के रूप में बारह मास की अवधि के लिए अधिकतम अनुज्ञेय उपभोग	स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) मे संबंधित तारीख	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादक को क्षमताओं के सृजन पर पाबंदी	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से बने या उनमें युक्त उत्पादों के विनिर्माण के लिए नई क्षमताओं के सृजन पर पाबंदी
5	6	7	8
100	1-1-2002	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
50	1-1-2005	—	—
0	1-1-2010	—	—
15	1-1-2005**	—	—
15	1-1-2010	—	—
150	1-1-2003	—	—
70	1-1-2005	—	—
30	1-1-2010	—	—
0	1-1-2015	—	—
100	1-1-2016	—	—
0	1-1-2040*	—	—
100	1-1-2002	—	—
80	1-1-2005	—	—
0	1-1-2015	—	1-1-2015

* अनुसूची 1 के हाइड्रोक्लोरो फ्लुओरो कार्बनों (समूह 6 के अधीन ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ) के उत्पादन और उपभोग के लिए निर्धारित वर्ष।

** संभव आवश्यक उपभोग छूट के साथ।

अनुसूची 3

[नियम 2 (ग.), 3(2), (3), 5(3), 9(1) और 2 देखें]

अनुसूची 1 के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह I और समूह III के उत्पादन और उपभोग का विनियमन

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	आधारिक स्तर* से संबंधित वर्ष	समूह (संपूर्ण रूप से) के लिए बारह मास की किसी अवधि में अधिकतम अनुज्ञेय उत्पादन (मि.ट.)	संपूर्ण समूह के लिए आधारिक वर्षों में परिकलित स्तर के उपभोग की प्रतिशतता के रूप में बारह मास की किसी अवधि में अधिकतम अनुज्ञेय उपभोग	स्तंभ 4 और 5 से संबंधित तारीख	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन की क्षमताओं के सृजन पर पाबंदी	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से युक्त या उनसे बनाए गए उत्पादों के विनिर्माण की नई क्षमताओं के सृजन पर पाबंदी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I	1995-97	20.706	90%	31-12-2000	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
	III	1998-2000	—				
2	I	1995-97	18.824	83%	31-12-2001	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
	III	1998-2000	—				
3	I	1995-97	16.941	75%	31-12-2002	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
	III	1998-2000	—				
4	I	1995-97	15.058	66%	31-12-2003	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
	III	1998-2000	—				
5	I	1995-97	13.176	58%	31-12-2004	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
	III	1998-2000	—				
6	I	1995-97	11.294	50%	31-12-2005	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
	III	1998-2000	—				
7	I	1995-97	7.342	33%	31-12-2006	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
	III	1998-2000	—				
8	I	1995-97	3.389	15%	31-12-2007	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
	III	1998-2000	—				
9	I	1995-97	2.259	10%	31-12-2008	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
	III	1998-2000	—				
10	I	1995-97	1.130	10%	31-12-2009	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
	III	1998-2000	—				
11	I	1995-97			1-12-2010 के पश्चात्	यह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	यह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
	III	1998-2000	—				

*किसी ऐसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन उत्पादन/उपभोग के सिवाय, जिसके लिए पक्षकार, भारत में आवश्यक उपयोगों को पूरा करने के लिए सहमत हुए हैं।

अनुसूची 4

[नियम 6(1), 7, 8(1), (2), (3), (4) और (5), 9(3), 10(3) देखें]

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उपभोग का अंतिम उपयोग के आधार पर विनियमन

क्रम सं	क्रियाकलापों का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	फेज आउट तारीख*
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एयरोसोल उत्पादों या दाबीकृत डिस्पेन्सरों (औषधीय उद्देश्यों के लिए मीटरर्ड डोस इनहेलर के अलावा) का विनिर्माण	समूह I	1-1-2003
2.	फेन उत्पादों के लिए पोलाइओल का विनिर्माण	समूह I	1-1-2003
3.	केन उत्पादों घरेलू रेफ्रिजरेटरों के केन भाग सहित का विनिर्माण	समूह I	1-1-2003
4.	अग्निशमकों या अग्निशमक यंत्रों का विनिर्माण	समूह II	1-1-2001**
5.	गतिशील वातानुकूलन यंत्रों का विनिर्माण और आटोमोबाइल उद्योग पर प्रभार	समूह I	1-1-2003
6.	अन्य प्रशीतन और वातानुकूलन उत्पादों (संपोडित्रों के अलावा) का विनिर्माण	समूह I	1-1-2003
7.	विभिन्न उत्पादों का विनिर्माण	समूह I, III, IV और V	1-1-2010
8.	अग्निशमकों और अग्निशमक यंत्रों की सर्विसिंग	समूह II	1-2010**
9.	औषधीय उद्देश्यों के लिए मीटरर्ड डोस इनहेलर्स का विनिर्माण	समूह I	1-1-2010
10.	विभिन्न उत्पादों का विनिर्माण	समूह VI	1-1-2040
11.	पोल लदान पूर्व या करंतीन के सिवाय मिथायल ब्रोमाइड का उपयोग	समूह VII	1-12-2015

* ऐसे व्यक्ति या उद्यम के लिए जिसने गैर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ तकनीक में परिवर्तन के लिए या गैर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ तकनीक के साथ नई क्षमता की स्थापना या विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की है, फेज आउट तारीख वह तारीख होगी जो परिवर्तन परियोजना के पूर्ण होने की है या अनुसूची 4 के स्तंभ (4) में दी गई है, इनमें से जो भी पूर्णतर हो।

अनुसूची 5

[नियम 2(ख), 3(1), 6(1), 7, 8(1), (2),(5), और (6), 11(1), (2), 12(1), 13(5) देखिए]

प्राधिकारी, उनके कार्यों और उनके रजिस्ट्रीकरण की अंतिम तारीख की सूची

भाग-I अनुसूची 1 के समूह VIII से भिन्न ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के लिए

क्रम सं.	नियम सं.	कार्य	प्राधिकारी का नाम	रजिस्ट्रीकरण की अंतिम तारीख	अपील प्राधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	3 (1)	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादों का रजिस्ट्रीकरण	पर्यावरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो	इन नियमों के प्रारंभ के तीन मास पश्चात्	सचिव पर्यावरण और वन मंत्रालय
2.	3,4,5,10 (1), (10), (2)	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों और ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों	विदेश व्यापार का महानिदेशक	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		से युक्त या बनाये गये उत्पादों के आयात/ निर्यात की अनुज्ञप्ति			
3.	6 (1)	ओजोन अवक्षयकारी/ पदार्थों के व्यापारियों/ व्यौहारियों/थोक विक्रेताओं/विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण	(i) यदि ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का उत्पादन भारत में हो रहा है, तो विशिष्ट उत्पादक का ऐसा अधिकारी जो प्रबंधक के पद से नीचे का न हो (ii) यदि ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का आयात हो रहा है तो विशिष्ट आयातकर्त्ता का ऐसा अधिकारी जो प्रबंधक के पद से नीचे का न हो	इन नियमों के प्रारंभ के एक वर्ष पश्चात्	पर्यावरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उप-सचिव के पद से नीचे का न हो
4.	8 (1)	अनुसूची 4 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्तियों/ उद्यमों (जिनका पूंजी विनिधान का रजिस्ट्रीकरण 1 करोड़ से कम हो)	लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत अपनी-अपनी अधिकारिता वाले लघु उद्योग सेवाएं	इन नियमों के प्रारंभ के एक वर्ष पश्चात्	पर्यावरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो
		अनुसूची 4 के स्तंभ (2) में क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्तियों/ उद्यमों का रजिस्ट्रीकरण (जिनका पूंजी विनिधान 1 करोड़ से अधिक है।)	संस्थान के कार्यालयों का प्रभारी अधिकारी पर्यावरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो	इन नियमों के प्रारंभ के एक वर्ष पश्चात्	पर्यावरण और वन मंत्रालय का सचिव
5.	11(1)	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का पुनर्दावा करने की सुविधा रखने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण	लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत अपनी-अपनी अधिकारिता वाले लघु उद्योग सेवाएं संस्थान के कार्यालयों का प्रभारी अधिकारी।	इन नियमों के प्रारंभ के एक वर्ष पश्चात्	पर्यावरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	11 (2)	आजोन अवक्षयकारी पदार्थों का नष्ट करने की सुविधा रखने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण	लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत अपनी-अपनी अधिकारिता वाले लघु उद्योग सेवाएं संस्थान के कार्यालयों का प्रभारी अधिकारी।	इन नियमों के प्रारंभ के एक वर्ष के पश्चात्	पर्यावरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो
7.	12	संपीडित्रों के विनिर्मातओं, आयातकर्त्ताओं और निर्यातकर्त्ताओं (जिनका पूंजी विनिधान 1 करोड़ रु. से कम हो) का रजिस्ट्रीकरण	लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन अपनी-अपनी अधिकारिता वाले लघु उद्योग सेवाएं संस्थान के कार्यालयों का प्रभारी अधिकारी।	इन नियमों के प्रारंभ के एक वर्ष के पश्चात्	पर्यावरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो
		संपीडित्रों के विनिर्माताओं, आयातकर्त्ताओं और निर्यातकर्त्ताओं (जिनका पूंजी विनिधान 1 करोड़ रु. से अधिक है) का रजिस्ट्रीकरण	पर्यावरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उपसचिव से कम रैंक का न हो	इन नियमों के प्रारंभ के एक वर्ष के पश्चात्	सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय

भाग-II अनुसूची 1 के समूह-VIII ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के लिए

क्रम सं.	नियम सं.	कार्य	प्राधिकारी का नाम	रजिस्ट्रीकरण की अंतिम तारीख	अपील प्राधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	3 (1) 6 (1) 8 (1) 11 (1)	रजिस्ट्रीकरण	कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) में यथा-विनिर्दिष्ट	कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) में यथाविनिर्दिष्ट	कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) में यथाविनिर्दिष्ट

अनुसूची-6

[नियम 4, 5 (1) देखिए]

मान्ट्रियल प्रोटोकाल, 1987 में पक्षकार देशों की सूची

भाग—1

मान्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 5 के पैरा 1 के अधीन कार्य करने वाले के रूप में वर्गीकृत पक्षकारों की सूची

क्रम सं.	देश का नाम
(1)	(2)
1.	अल्जीरिया
2.	अंटीगुआ और बारबुडा
3.	अर्जेन्टीना
4.	बहामास
5.	बेहरीन
6.	बंगला देश
7.	बारबाडोस
8.	बेलिज़
9.	बेनिन
10.	बोलिविया
11.	बोस्निया और हर्जेगोविना
12.	बोत्सवाना
13.	ब्राजील
14.	ब्रुनेई दारुस्सलम
15.	बुरकीना फासो
16.	बुरुण्डी
17.	कैमरून
18.	मध्य अफ्रीकन गणराज्य
19.	चाड
20.	चिली
21.	चीन
22.	कोलम्बिया
23.	कोमोरोस
24.	कांगो
25.	कांगो लोकतंत्रात्मक गणराज्य
26.	कोस्टा रीका
27.	कोट आइवरी

(1)	(2)
28.	क्रोएशिया
29.	क्यूबा
30.	साइप्रस
31.	डोमीनिका
32.	डोमीनिकन गणराज्य
33.	इक्वेडर
34.	मिस्र
35.	एल सालवाडोर
36.	इथिओपिया
37.	फिजी
38.	गेबोन
39.	गाम्बिया
40.	जिओरजिया
41.	घाना
42.	ग्रेनाडा
43.	गुआएमाला
44.	गुआनिया
45.	गुआना
46.	होनडुरस
47.	भारत
48.	इन्डोनेशिया
49.	इस्लामी गणराज्य इरान
50.	जमाइका
51.	जार्डन
52.	कीनिया
53.	किरीबाती
54.	कोरिया लोकतंत्रात्मक गणराज्य
55.	कोरिया गणराज्य
56.	कुवैत
57.	लाओ लोकतंत्रात्मक गणराज्य
58.	लेबनान
59.	लेसोथो
60.	अरब जमहारिया लीबिया
61.	मडगास्कर
62.	मालावी
63.	मलेशिया
64.	मालदीव
65.	माली

(1)	(2)
66.	माल्टा
67.	मारीशानिया
68.	मारिशस
69.	मैक्सिको
70.	मोलडोवा
71.	मोन्गोलिया
72.	मोरक्को
73.	मोजाम्बिक
74.	म्यामार
75.	नामीबिया
76.	नेपाल
77.	निकारागुआ
78.	नाइजर
79.	ओमन
80.	नाइजीरिया
81.	पाकिस्तान
82.	पनामा
83.	पप्युआ न्यू गुआनिया
84.	पारगे
85.	पेरू
86.	फिलीपींस
87.	कतर
88.	रूमानिया
89.	सैंट किट्स तथा नेविस
90.	सेंट लूसिया
91.	सेंट विन्सेंट एण्ड दी ग्रेनाडाइन्स
92.	सामोआ
93.	साउदी अरब
94.	सेनेगल
95.	सैशल्स
96.	सिंगापुर
97.	सलोवेनिया
98.	सोलोमन द्वीप
99.	दक्षिण अफ्रीका
100.	श्री लंका
101.	सुडान
102.	स्वाजिलैण्ड
103.	सीरियन अरब गणराज्य
104.	तंजानिया संयुक्त गणराज्य
105.	थाइलैण्ड
106.	भूतपूर्व मेसेडोनिया यूगोस्लाक गणराज्य
107.	टोगो
108.	त्रिनीदाद और टोबागो
109.	ट्यूनीशिया
110.	तर्की
111.	युगान्डा
112.	संयुक्त अरब अमीरात
113.	उरूग्वे
114.	वेनेजुएला
115.	यमन
116.	वियतनाम
117.	युगोस्लाविया
118.	जाम्बिया
119.	जिम्बावे

भाग—2

मानट्रियल प्रोटोकाल के अनुच्छेद 5 के पैरा 1 के अधीन अस्थाई रूप से कार्य करने वाले के रूप में वर्गीकृत पक्षकारों की सूची

(1)	(2)
1.	अल्बानिया
2.	डजीबौटी
3.	मिक्रोनेशिया परिसंघीय राज्य
4.	लीबेरिया
5.	मार्शल द्वीप समूह
6.	सुरीनम
7.	टोंगा
8.	टुवालु
9.	वानुआटु

भाग—3

मानट्रियल प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2 के अधीन वर्गीकृत पक्षकारों की सूची

(1)	(2)
1.	आस्ट्रेलिया
2.	आस्ट्रिया
3.	अजरबाईजान
4.	बेलारूस
5.	बेल्जियम
6.	बरूनी दारू सालम
7.	बुल्गारिया
8.	कनाडा
9.	चेक गणराज्य
10.	डेनमार्क
11.	इक्विटोरियल गुआनिया
12.	एस्टोनिया
13.	फिनलैण्ड
14.	फ्रांस
15.	जोर्जिया
16.	जर्मनी

(1)	(2)
17.	ग्रीस
18.	हंगरी
19.	आइसलैण्ड
20.	आयरलैण्ड
21.	इज़रायल
22.	इटली
23.	जापान
24.	लातविया
25.	लीचटेन्स्टीन
26.	लिथुआनिया
27.	लक्जमबर्ग
28.	मोनाको
29.	नीदरलैण्डस
30.	न्यूजीलैण्ड
31.	नार्वे
32.	पोलैण्ड
33.	पुर्तगाल
34.	रूसी परिसंघ
35.	सलोवाकिया
36.	स्पेन
37.	स्वीडन
38.	स्वीटजरलैण्ड
39.	तजाकिस्तान
40.	तुर्कमानिस्तान
41.	यूक्रेन
42.	यूनाइटिड किंगडम
43.	यू. एस. ए. (संयुक्त राज्य अमरीका)
44.	उज्बेकिस्तान
45.	यूरोपियन समुदाय

अनुसूची—7

[नियम 10 (1), (2) देखें]

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से युक्त उत्पादों के आयात और निर्यात का विनियमन

क्रम. सं.	उत्पाद का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	वह तारीख जिसको आयात का विनियमन प्रभावी होता है	वह तारीख जिसको निर्यात का विनियमन प्रभावी होता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मोटर गाड़ी और ट्रक वातानुकूलन इकाइयां (चाहे वह यान में सम्मिलित की गई हैं या नहीं)	समूह-I	इन नियमों के प्रवृत्त होने के छह मास पश्चात्	इन नियमों के प्रवृत्त होने के छह मास पश्चात्
2.	घरेलू और वाणिज्यिक प्रशीतन और वातानुकूलन/ताप पंप उपस्कर उदाहरण —प्रशीतित —हिमीकरण यंत्र —निरार्द्रीकारक —जल शीतल यंत्र —हिम यंत्र —वातानुकूलन और ताप पंप इकाइयां —संघीडित्र	समूह-I समूह-VI	—उपरोक्त—	—उपरोक्त—
3.	एअरोसोल उत्पाद सिवाए औषधीय एयरोसोल	समूह-I	—उपरोक्त—	—उपरोक्त—
4.	सुवाह्य अग्निशमक यंत्र/सिस्टम सिलिण्डर	समूह-II	—उपरोक्त—	—उपरोक्त—
5.	विद्युत रोधी पट्ट, प्रपट्ट और नलिका आवरण	समूह-I	—उपरोक्त—	—उपरोक्त—
6.	पूर्व-बहुलक	समूह-I समूह-VI	—उपरोक्त—	—उपरोक्त—

टिप्पण :—1. अनुक्रम 2, स्तम्भ 2 के उत्पादों में जिसमें उन उत्पादों के विद्युत रोधी पदार्थ भी अंतर्विष्ट हैं।

2. ऊपर उल्लिखित सभी उत्पाद यदि व्यक्तिगत या गृहस्थी के चीजवस्तु के लिए या ऐसी अवाणिज्यिक परिस्थितियों में, जिन्हें, सामान्यतः सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है, परेषण में परिवहन किए जाते हैं। इस अनुसूची के कार्यक्षेत्र से प्रदर्शित है।

अनुसूची-8

(नियम 15 देखिए)

छूट

(i) अनुसूची 1 के समूह 8 के अन्तर्गत आने वाले ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ कन्तीन और पोतलदान पूर्व उपयोजनों में मिथाएल ब्रोमाइड का उपयोग।

(ii) ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ, जिनका उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोगशाला में या विश्लेषणीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(क) प्रयोगशाला उपयोगों में उपस्कर अंश शोधन भी हैं, जैसे वित्तायक निष्कर्षणों, तनुकारकों या रासायनिक विश्लेषण जैविक अनुसंधान वाहकों, रासायनिक प्रतिक्रियाओं, अक्रिय वितायकों के लिए एक वाहक के रूप में या प्रयोगशाला रसायन और अन्य निर्णायक विश्लेषणात्मक तथा प्रयोगशाला प्रयोजनों के लिए उपयोग करना;

(ख) ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ निम्नलिखित शुद्धियों के अनुरूप विनिर्मित होने चाहिए :—

सी टी सी (रीजेंट ग्रेड)		99.5
1. 1. 1-ट्रिक्लोरोएन		99.0
सी एफ सी-11		99.5
सी एफ सी-13		99.5
सी एफ सी-12		99.5
सी एफ सी-113		99.5
सी एफ सी- 114		99.5
अन्य जल/क्वथनांक	पी> 20 सेंटीग्रेड	99.5
अन्य जल/क्वथनांक	पी< 20 सेंटीग्रेड	99.0

(ग) इन शुद्ध ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को तदुपरि विनिर्माताओं, अभिकर्ताओं या वितरकों द्वारा अन्य रसायनों के साथ मिलाया जा सकेगा जैसा कि प्रयोगशाला और विश्लेषणात्मक उपयोगों के लिए रूढ़िजन्य हो।

(घ) इन उच्च शुद्धता वाले ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों और ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों वाले मिश्रणों का प्रदाय केवल पुनः बंद किए जाने वाले आधानों या तीन लीटर या दस मिलीलीटर से छोटे उच्च दाब वाले सिलण्डरों में या कांच के छोटे एम्प्यूलों में किया जाएगा जिन पर स्पष्टतया लिखा होगा कि यह प्रयोगशाला उपयोग और विश्लेषणात्मक प्रयोजनों के लिए निबंधित है तथा यह भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि उपयोग की गई या अधिशेष ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को यदि व्यवहार्य हो तो संग्रहीत या पुनर्चक्रित किया जाना चाहिए। ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का पुनर्चक्रण यदि व्यवहार्य न हो तो उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

**आवश्यक उपयोग पेनल द्वारा प्रमाणित आवश्यक उपयोग को छोड़कर।

(iii) अनुसूची 1, समूह 4 के ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का आयात, निर्यात और उत्पादन, यदि ऐसा आयात और उत्पादन अनुसूची 1 के समूह 1 में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के विनिर्माण में उपयोग के लिए है तो यह खपत की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है।

(iv) किसी बरामद किए गए या उपयोगी बनाए गए ओजोन अवक्षकारी पदार्थ का आयात और निर्यात, खपत की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है।

(v) ऐसे उत्पादों के जिन्हें कम से कम एक वर्ष तक उपयोग किया गया है वाणिज्येतर विक्रय को नियम 10 का उपनियम (1) लागू नहीं होता।

(vi) लंकहित में ऐसा कोई नियम जिसे केंद्रीय सरकार का विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त है।

(vii) अनुसूची 1 के समूह 2 पदार्थों का रक्षावायुयान, युद्ध टैंक और विमानन उद्योगों जैसे आवश्यक क्रिटिकल उपयोजन के लिए उपयोग, आवश्यक उपयोग पेनल द्वारा प्रमाणित किया जाना।

अनुसूची 9

[नियम 13 (1), 18 (6) देखें]

भाग-1

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

1. नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अनुसूची 11 के प्ररूप 9 में किया जाएगा।

2. नियम 6(1) के अधीन ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के विक्रेताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अनुसूची 11 के प्ररूप 10 में किया जाएगा।

3. नियम 8(1) के अधीन व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अनुसूची 11 के प्ररूप 11 में किया जाएगा।

4. नियम 11(1) के अधीन ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का पुनरुद्धार करने वाले व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अनुसूची 11 के प्ररूप 14 में किया जाएगा।

5. नियम 11(2) के अधीन ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को नष्ट करने वाले व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अनुसूची 11 के प्ररूप 14 में किया जाएगा।

6. संपीड़कों का विनिर्माण करने, आयात करने या निर्यात करने वाले व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के अनुसूची 11 के प्ररूप 13 में किया जाएगा।

7. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे व्यक्तियों को जारी किया जाएगा जो इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हुए हैं।

8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी :—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम

(ख) रजिस्ट्रीकरण सं.

(ग) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में अंतर्विष्ट जानकारी (अनुलग्नकों के सिवाय)

(घ) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

भाग-2

रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण की शर्तें

1. "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" "रजिस्ट्रीकृत कार्यालयों" में रखा जाएगा, और अनुरोध किए जाने पर, किसी युक्तियुक्त समय पर संबद्ध प्राधिकरण के किसी अधिकारी को, जो भारत सरकार के अनुभाग अधिकारी से अन्यून पंक्ति का न हो या नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की बाबत संबद्ध उत्पादन उद्यम में किसी सहायक प्रबंधक को प्रस्तुत किया जाएगा।

2. यदि रजिस्ट्रीकृत किया जाने वाला व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा या ऐसा रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य नहीं रह जाएगा।

3. उपनियम 6 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में वर्णित प्राधिकारी के वाणिज्यिक विनिश्चय के अध्यधीन होगा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की बाबत ऐसे रजिस्ट्रीकरण के सिवाय जो अनुसूची 1 के समूह 8 में विनिर्दिष्ट है।

4. सामान्यत: ऊपर पैरा 2 के उपबंध में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण का तब तक नवीकरण नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक इन नियमों के अधीन बताई गई सभी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

5. इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 18 मास की अवधि के लिए होगी। इसका नवीकरण इसके रजिस्ट्रेशन/नवीकरण की तारीख से 12 मास के पश्चात् किसी भी समय किया जा सकेगा। यह नवीकरण जो 18 मास के लिए विधिमान्य होगा।

अनुसूची 10

[नियम 14 (1), (2), (3), (4), (5), (6) और (7) देखें]

भाग-1

अ. अभिलेखों का रखा जाना

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन के संबंध में अभिलेख।

(1) निम्नलिखित प्रत्येक उत्पादन संयंत्र की बाबत तारीख सहित अभिलेख और संबंधित दस्तावेज—

(क) उत्पादित किए गए ओजोन अवक्षकारी पदार्थ की वास्तविक मात्रा;

(ख) पुनर्भरण स्टाक के रूप में प्रयुक्त प्रत्येक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की वास्तविक मात्रा; और

(ग) नीचे 2 (ख) और 2 (ग) में विनिर्दिष्ट जानकारी।

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के विक्रय और विक्रय के लिए प्रस्ताव के संबंध में अभिलेख।

(2) निम्नलिखित की बाबत तारीख सहित और संबंधित दस्तावेज:—

(क) क्रय किए गए प्रत्येक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की वास्तविक मात्रा;

(ख) भारत के भीतर विक्रय किए गए प्रत्येक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की वास्तविक मात्रा; प्रत्येक लदान के प्राप्तकर्ता का नाम और पता और वह प्रयोजन जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ क्रय किया गया था। इन प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को बनाए रखा जाएगा;

(i) ऐरोसॉल का विनिर्माण

(ii) फेम उत्पादों का विनिर्माण

(iii) अग्निशमकों का विनिर्माण और अग्निशमकों तथा अग्निशमन प्रणाली

(iv) चालित शीतानुकूलनों का विनिर्माण

(v) अन्य प्रशीतन और शीतानुकूलन उत्पादों का विनिर्माण

(vi) विलायक उपयोग

(vii) एट प्राप्त उपयोग

(viii) विक्रय

(ix) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के आयात के संबंध में अभिलेख

(3) अनुसूची 11 के यथास्थिति प्ररूप 3 या प्ररूप 4 के प्रत्येक स्तंभ की बाबत अंतर्विष्ट जानकारी के संबंध में तारीख सहित अभिलेख और संबंधित दस्तावेज।

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के निर्यात के संबंध में अभिलेख

(4) अनुसूची 11 के यथास्थिति प्ररूप 5 या प्ररूप 6 के प्रत्येक स्तंभ की बाबत अंतर्विष्ट जानकारी के संबंध में तारीख सहित अभिलेख और संबंधित दस्तावेज।

संपीड़ित्र के विनिर्माण, आयात और निर्यात की बाबत अभिलेख और संबंधित दस्तावेज

(5) अनुसूची 11 के यथास्थिति प्ररूप 12 या 13 के प्रत्येक स्तम्भ की बाबत अन्तर्विष्ट जानकारी के संबंध में तारीख सहित अभिलेख और संबंधित दस्तावेज।

अनुसूची 11 के प्ररूप 12 में प्राप्तिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा

आ. प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

(1) अनुसूची 11 प्ररूप 1 के अनुसार ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन संबंधी रिपोर्ट।

(2) अनुसूची 11 के प्ररूप 2 के अनुसार ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के आयात संबंधी रिपोर्ट।

(3) अनुसूची 11 के प्ररूप 3 के अनुसार ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के निर्यात संबंधी रिपोर्ट।

(4) अनुसूची 11 के प्ररूप 4 के अनुसार ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के विक्रय संबंधी रिपोर्ट।

(5) ऊपर क्रम संख्यांक 1 से 3 में वर्णित रिपोर्टें पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएंगी। ऊपर क्रम संख्यांक 4 में वर्णित रिपोर्ट अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। जो रिपोर्ट के संकलित पाठ को प्रस्तुत करेगा। सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट भी ऐसे प्राधिकारी द्वारा समपठनीय प्रति फलापी के रूप में अनुरोध किए जाने पर पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

भाग-II

अ. अभिलेखों का रखा जाना

अनुसूची 4 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में उपयोग के लिए ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के क्रय के संबंध में अभिलेख।

(1) निम्नलिखित के तारीख सहित अभिलेख—

(क) किसी भारतीय प्रदायकर्ता से क्रय किए गए प्रत्येक ओजोन अवक्षयकारी की वास्तविक मात्रा और भारतीय प्रदायकर्ता का नाम तथा पता।

(ख) प्रत्येक संयंत्र और प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए पृथक रूप से उपयोग किए गए प्रत्येक ओज़ोन अवक्षयकारी पदार्थ की वास्तविक मात्रा।

आ. प्रस्तुत किए जाने वाला अभिलेख

(1) अनुसूची 1 के प्ररूप 5 के अनुसार ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के क्रय संबंधी रिपोर्ट।

(2) ये रिपोर्टें अनुसूची 5 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट संबद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी, जो रिपोर्ट के संकलित पाठ को पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। अनुरोध किए जाने पर व्यक्तिगत रिपोर्ट भी ऐसे प्राधिकारी द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

भाग-III

अ. अभिलेखों का रखा जाना

उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग के लिये फायदाग्राही कंपनियों द्वारा गैर-ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के क्रय के संबंध में अभिलेख—

निम्नलिखित की बाबत तारीख सहित अभिलेख और संबंधित दस्तावेज :—

(1) क्रय किये गये प्रत्येक गैर-ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की वास्तविक मात्रा और प्रदायकर्ता का नाम और पता।

(2) प्रत्येक संयंत्र और प्रत्येक विनिर्माणकारी संक्रिया के लिये प्रत्येक विनिर्माणकारी संक्रिया में उपयोग किये गये प्रत्येक गैर-ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की वास्तविक मात्रा।

आ. प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

(1) अनुसूची 1 के प्ररूप 6 के अनुसार फायदाग्राही अपनी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उपयोग के संबंध में रिपोर्ट।

(2) ये रिपोर्टें अनुसूची 5 के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट संबद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी जो रिपोर्ट के संकलित पाठ को, पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। ऐसे प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रिपोर्ट के भी अनुरोध किये जाने पर पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत की जायेगी।

भाग-IV

अ. अभिलेखों का रखा जाना

पुनरुद्धार के संबंध में अभिलेख

निम्नलिखित की बाबत तारीख सहित अभिलेख और संबंधित दस्तावेज—

(क) प्राप्त किये गये प्रत्येक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की वास्तविक मात्रा, उस व्यक्ति या कंपनी का नाम और पता जिससे ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ प्राप्त हुए हैं और यदि वह स्थल जिस पर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का पुनरुद्धार किया गया है, भिन्न है तो उस का नाम और पता।

(ख) पुनरुद्धार किये गये प्रत्येक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की वास्तविक मात्रा

आ. रिपोर्टों को प्रस्तुत किया जाना

(1) अनुसूची 1 के प्ररूप 7 के अनुसार ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के पुनरुद्धार के संबंध में रिपोर्ट।

(2) यह रिपोर्ट अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के माध्यम से पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

भाग-V

अ. अभिलेखों का रखा जाना

विनाश के सम्बन्ध में रिपोर्ट

(1) निम्नलिखित के संबंध में तारीख सहित अभिलेख :

नियोजन सुविधा विनाश की क्षमता के आधार पर विनाश किये गए प्रत्येक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की वास्तविक मात्रा।

आ. रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना

(1) अनुसूची 1 के प्ररूप 8 के अनुसार ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के विनाश के संबंध में रिपोर्ट।

(2) ये रिपोर्टें अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट संबद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के माध्यम से पर्यावरण और मंत्रालय को प्रस्तुत की जायेगी।

भाग-VI

अ. अभिलेखों का रखा जाना

संपीड़कों के विनिर्माण, आयात और निर्यात के संबंध में रिपोर्ट।

अनुसूची 1 के प्ररूप 12 के प्रत्येक स्तंभ की बाबत जानकारी वाले तारीख सहित अभिलेख और दस्तावेज।

आ. रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना

(1) अनुसूची 1 के प्ररूप 12 के अनुसार संपीड़कों के विक्रम और विनिर्माण, आयात, निर्यात और विक्रय किये गये संपीड़कों में प्रशीतकों के उपयोग के संबंध में रिपोर्ट।

(2) ये रिपोर्ट अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट संबद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, जो रिपोर्ट के संकलित पाठ को पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। अनुरोध किये जाने पर व्यक्तिगत रिपोर्टें भी ऐसे प्राधिकारी द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाएंगी।

भाग-VII

अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना

नियम 13 की अपेक्षाओं के अनुसरण में रखे जा रहे अभिलेख, अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के अनुभाग अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेंगे। तथापि, अनुसूची I में के समूह 8 में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के सिवाय किसी स्थानीय उत्पादित ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के विक्रय में लगे व्यक्ति अभिलेखों को, किसी युक्तियुक्त समय पर संबद्ध उत्पादन उद्यम के किसी अधिकारी द्वारा जो सहायक प्रबंधक से नीचे की पंक्ति का न हो, या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, अनुरोध किए जाने पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध करायेगा।

अनुसूची—1

प्ररूप—1 पृष्ठ—1

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन पर रिपोर्ट

रिपोर्ट की आवृत्ति : वार्षिक

रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख : वर्ष के अन्त के 30 दिनों के भीतर

कंपनी का नाम		रिपोर्ट की अवधि	जनवरी———— से दिसम्बर, 2000———		
ओजोन अवक्षकारी पदार्थों के समूह का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का नाम	सभी उपयोगों के लिये उत्पादित कुल परिमाण *2	भारत के अन्दर छूट प्राप्त उपयोगों के लिये उत्पादित परिमाण *3		अनुसूची 5 के भाग-I और भाग-II में सूचीबद्ध देशों की पूर्ति के लिये उत्पादित परिमाण
			भारत के अन्दर दाना भंडार के लिये उत्पादित परिमाण	भारत के अन्दर छूट प्राप्त अन्य उपयोगों के लिये उत्पादित परिमाण	
समूह I	सी एफ, सी एल 3 (सी एफ सी 11) सी एफ सी (12) (सी एफ सी-12) सी, एफ, सी एल, (सी एफ सी-114) सी, एफ, सी एल (सी एफ सी-115)				
	कुल				

प्ररूप—1 पृष्ठ—2

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का नाम *1	सभी उपयोगों के लिये उत्पादित कुल परिमाण *2	भारत के अन्दर छूट प्राप्त उपयोगों के लिये उत्पादित परिमाण *3		अनुसूची 6 के भाग-I और भाग-II में सूचीबद्ध देशों की पूर्ति के लिये उत्पादित परिमाण
			भारत के अन्दर दाना भंडार के लिये उत्पादित परिमाण	भारत के अन्दर छूट प्राप्त अन्य उपयोगों के लिये उत्पादित परिमाण	
समूह II	सी एफ बी आर सी एल (हेलोन-1211) सी एफ, बी आर (हेलोन-1301) सी, एफ, बी आर, (हेलोन-2402)				
	कुल				

समूह III	सी एफ, सी एल (सी एफ सी-13)
	कुल
समूह IV	सी सी एल, (कार्बन टेट्राक्लोराईड)
समूह V	सी, एच, सी एन, (मेथाई) क्लोरोफार्म 1. 1. 1-(ट्राइक्लोरोइथेनल)

प्ररूप—1 पृष्ठ—3

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का नाम *1	सभी उपयोगों के लिये उत्पादित कुल परिमाण *2	भारत के अन्दर छूट प्राप्त उपयोगों के लिये उत्पादित परिमाण *3		अनुसूची 6 के भाग-I और भाग-II में सूचीबद्ध देशों की पूर्ति के लिये उत्पादित परिमाण
			भारत के अन्दर दाना भंडार के लिये उत्पादित परिमाण	भारत के अन्दर छूट प्राप्त अन्य उपयोगों के लिये उत्पादित परिमाण	
1	2	3	4		5
समूह II	सी एच एफ सी एल (एच सी एफ सी-21) सीएचएफ, सी एल (एच सी एफ सी-22) सीएच, एफसी एल (एच सी एफ सी-31) सी, एच एफ, सी एल, (एच सी एफ सी-123) सी, एच एफ, सी एल (एच सी एफ सी-124) सी, एच, एफ, सीएल (एच सी एफ सी-133) सीएच, सीएफ एल, (एच सी एफ सी-141 ख) सीएच, सीएफ, सीएल (एच सी एफ सी-142 ख) सी, एच एफ, सी, एल (एच सी एफ सी-225) सी एफ, सी एफ —2सी एच सी एल (एचसीएफसी-225 ग क) सी एफ, सी एल सी एच एल सी एच एफ (एच सी एफ सी-225 ग ख) कुल				

प्ररूप—1 पृष्ठ—4

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का नाम*1	सभी उपयोगों के लिये उत्पादित कुल परिमाण *2	भारत के अन्दर छूट प्राप्त उपयोगों के लिये उत्पादित परिमाण *3		अनुसूची 6 के भाग-I और भाग-II में सूचीबद्ध देशों की पूर्ति के लिये उत्पादित परिमाण
			भारत के अन्दर दाना भंडार के लिये उत्पादित परिमाण	भारत के अन्दर छूट प्राप्त अन्य उपयोगों के लिये उत्पादित परिमाण	
1	2	3	4	5	6
समूह VII	एच बी एफ सी, एस				
समूह VIII	मेथाएल ब्रोमाइड (सी एच, बी आर)			भारत के अन्दर और निर्यात के लिए कर लोन और कोई परिसंकट-पूर्व उपयोजनों के लिये उत्पादित न्यू मेथाएल ब्रोमाइड की कुल मात्रा हस्ताक्षर *4 मुद्रा सहित	

प्ररूप—1 पृष्ठ—5

सत्यापन :—

मैं.....सुपुत्र श्री.....सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और उपाबन्ध तथा इसके साथ संलग्न विवरणी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही तथा पूर्ण है।

मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मैं.....की हैसियत से प्रस्तुत तथा सत्यापित कर रहा हूं तथा मैं ऐसा करने में सक्षम हूं।

स्थान.....

तारीख.....

*4 हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

*1. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की पूर्ण सूची के लिये कृपया अनुसूची 1 देखें।

*2. सिर्फ कटौती के कुल उत्पादन दें। पर्यावरण और वन संरक्षण नियम 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार आवश्यक कटौतियां करना।

*3. कृपया नियम 2 (ट) देखें तथा भारत के भीतर दाना भंडार के रूप में उपयोग किया गया कुल परिमाण और नियम 16 क. अधीन स्थानीय उत्पादन के लिए छूट प्राप्त परिमाण दें।

*4. उपरोक्त प्ररूप सत्यापन प्रभाग सहित व्यष्टि की दशा में स्वयं व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ; हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा ; भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा; कंपनी की दशा में, निदेशक यदि द्वारा इसकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा और अन्य किसी भी दशा में कारबार संचालन के लिये प्रधानी व्यक्ति या कारबार संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

प्ररूप-2—पृष्ठ-1

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के आयात के आंकड़े

रिपोर्ट का [illegible]

रिपोर्ट अपने वर्ष की अंतिम ता. : तीन महीने समाप्त होने के तीस दिन के भीतर

कंपनी का नाम.....रिपोर्ट की अवधि.....

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का नाम* 1.....

(मीट्रिक टन में)

क्रम सं	क्रय आदेश सं. और तारीख	लदान का बिल सं. और तारीख	सभी उपयोगों के लिये आयातित कुल परिमाण			निम्नलिखित उपयोगों के लिए नये ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का आयातित परिमाण	
			नए	*2 पुनः प्राप्त	*3 पुनः दावा	दावा भंडार	छूट प्राप्त उपयोग
1	2	3	4.	5	6	7	8
	कुल						

एफ ओ बी मूल्य	एफ ओ बी मूल्य रु.	आयात अनुज्ञप्ति सं. और तारीख	वह देश जिससे आयात किया गया	विक्रेता का नाम और पता	लदाई का पत्तन	वितरण का पत्तन
9	10	11	12	13	14	15
		कुल				

*4 हस्ताक्षर .....

मुद्रा सहित

प्ररूप-2—पृष्ठ-2

सत्यापन :

मैं.....सुपुत्र श्री.....सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और उपाबन्ध तथा इसके साथ संलग्न विवरणी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही तथा पूर्ण है।

मैं और आगे यह घोषणा करता हूं कि यह आवेदन.....की हैसियत से कर रहा हूं और मैं यह आवेदन करने तथा.....के कारण जिसकी एक फोटो/अनुप्रमाणित प्रति यहां संलग्न है इसे सत्यापित करने में सक्षम हूं।

स्थान.....

तारीख.....

*4 हस्ताक्षर .....

मुद्रा सहित

टिप्पण :

*1. एक प्ररूप केवल एक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के लिये ही प्रयुक्त करें। पृथक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के लिये पृथक प्ररूप प्रयोग करें। सभी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की पूर्ण सूची के लिये कृपया अनुसूची 1 देखें।

*2. "प्रत्युद्धरण" मर्शनरी, उपस्कर, कन्टेनर्ड पात्र आदि से सर्विसिंग के दौरान या निपटान से पहले ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का संग्रहण और भंडारण।

*3. प्रनरुद्धार—छनना, शुष्कत, आसवन और रासायनिक उपचारों जैसी क्रिया-विधियों द्वारा प्रत्युद्धरित ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ को पदार्थ के विनिर्दिष्ट मानक कार्यों तक पुनः प्राप्त करने के लिये उन्हें पुनः प्रसंस्करण और समुन्नत करना। इसमें बहुधा केन्द्रीय प्रसुविधा पर "आफ साइड" प्रसंस्करण अन्तर्वलित है।

*4. "पुनरुद्धार" उपरोक्त प्ररूप सत्यापन प्रभाग सहित व्यष्टि की दशा में स्वयं व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ; हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा, कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा इसकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा और अन्य किसी भी दशा में कारबार संचालन के लिये जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरयुक्त होगा।

प्ररूप-3—पृष्ठ-1

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के निर्यात पर रिपोर्ट

रिपोर्ट की आवृति : त्रैमासिक

रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख : तीन महीने समाप्त होने के तीस दिन के भीतर

कंपनी का नाम.....

रिपोर्ट की अवधि :

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का नाम *1.....

(मीटरिक टन में)

क्रम सं.	बीजक सं. और तारीख	लदान का बिल सं. और तारीख	सभी उपयोगों के लिये निर्यातित कुल परिमाण		निम्नलिखित उपयोगों के लिए नये ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का निर्यातित परिमाण		
			नए	*2 पुन: प्राप्त और पुन: डाला	*3 करंतीन तथा दाना भंडार पोत-परिवहन पूर्व उपयोजन		छूट प्राप्त उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
	कुल						

एफ ओ बी मूल्य	एफ ओ बी मूल्य रु.	निर्यात अनुज्ञप्ति सं. और ता.	वह देश जिसे निर्यात किया गया	खरीददार का नाम और पता	लदाई का पत्तन	वितरण का पत्तन
9	10	11	12	13	14	15
	कुल					

*4 हस्ताक्षर .....

मुद्रा सहित

प्ररूप-3, पृष्ठ-2

सत्यापन,

मैं.....सुपुत्र श्री.....सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और उपावन्ध तथा इसके साथ संलग्न विवरणी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही तथा पूर्ण है।

मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मैं.....की हैसियत से प्रस्तुत तथा सत्यापित कर रहा हूं तथा मैं ऐसा करने में सक्षम हूं।

स्थान.....

तारीख.....

*4हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

टिप्पण :—

*1. एक प्ररूप केवल एक ही ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के लिये प्रयुक्त करें। पृथक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के लिये पृथक प्ररूप करें। सभी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की पूर्ण सूची के लिए कृपया अनुसूची 1 देखें।

*2. "प्रत्युद्धरण" मशीनरी, उपस्कर कन्टेनमेंट पात्र आदि से सर्विसिंग के दौरान या व्ययन से पहले ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का संग्रहण और भंडारण।

'पुनरुद्धार' छनना, शुष्कत, आसवन और रासायनिक उपचारों जैसी क्रिया-विधियों के द्वारा प्रत्युद्धरित ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के विनिर्दिष्ट मानक कार्यों तक पुन: प्राप्त करने के लिये पुन: प्रसंस्करण और समन्नत करना। इसमें बहुधा केन्द्रीय प्रसुविधा पर "आफ साईड" प्रसंस्करण अन्तर्वलित है।

*3. केवल मेथाएल ब्रोमाइड के लिये।

*4. उपरोक्त प्ररूप सत्यापन प्रभाग सहित व्यष्टि की दशा में स्वयं व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा : हिन्दू अविभक्त कुटम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा, कंपनी की दशा में, निदेशक बोर्ड द्वारा इसकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा और अन्य किसी भी दशा में कारबार संचालन के लिये जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरवद्ध होगा।

प्ररूप-4, पृष्ठ-1

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के विक्रय पर रिपोर्ट

रिपोर्ट की आवृत्ति : त्रैमासिक

रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख : तीन महीने समाप्त होने के 30 दिन के भीतर

कंपनी का नाम.....रिपोर्ट की अवधि.....

भाग-क

(मीटरिक टन में)

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का परिमाण				स्थानत: खरीदा गया ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का परिमाण	ऐसे भारतीय पूर्तिकार जिससे ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ स्थानत: खरीदा गया का नाम और पता
		उत्पादित	*1 आयातित	*2 पुन: दावा	*3 निर्यातित		
	प्रत्येक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का कुल						

प्ररूप-4, पृष्ठ-2

भाग-ख

(मीटरिक टन में)

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का नाम	वह उद्देश्य जिसके लिये ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ खरीदार को बेचा गया	खरीदार को बेचा गया ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का परिमाण	खरीदार का नाम और पता
	कुल			

हस्ताक्षर *5

मुद्रा सहित

प्ररूप-4, पृष्ठ-3

सत्यापन,

मैं.....सुपुत्र श्री.....सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और उपाबन्ध तथा उसके साथ संलग्न विवरणी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही तथा पूर्ण है।

मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मैं.....की हैसियत से प्रस्तुत तथा सत्यापित कर रहा हूं तथा मैं ऐसा करने में सक्षम हूं।

*5

स्थान.....हस्ताक्षर

तारीख.....मुद्रा सहित

टिप्पण :—

*1. पूरी रिपोर्ट प्ररूप 2 के अनुसार प्रस्तुत करें।

*2. पूरी रिपोर्ट प्ररूप 7 के अनुसार प्रस्तुत करें।

*3. पूरी रिपोर्ट प्ररूप 3 के अनुसार प्रस्तुत करें।

*4. प्रस्तावित है।

(i) ए अरोसोल का विनिर्माण (औषधीय उद्देश्यों के लिये मीटर्ड डोस इन्हेलर्स को छोड़कर)

(ii) फोम उत्पादों का विनिर्माण

(iii) अग्निशमकों और अग्निशमक प्रणालियों का विनिर्माण

(iv) चल वातानुकूलकों का विनिर्माण

(v) अन्य प्रशीतन तथा वातानुकूलक उत्पादों (संपीड़कों को छोड़कर) का विनिर्माण

(vi) विलायक उपयोग

(vii) उन्मुक्ति उपयोग

(viii) विक्रय करना

(ix) अग्निशमकों और अग्निशमक प्रणालियों की सर्विसिंग

(x) औषधीय प्रयोजनों के लिये मीटर्ड डोस इन्हेलर्स

(xi) संपीड़कों का विनिर्माण

(xii) अन्य-विनिर्दिष्ट करें।

प्ररूप-4, पृष्ठ-4

*5. उपरोक्त प्ररूप सत्यापन प्रभाग सहित व्यष्टि की दशा में स्वयं व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा : हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा, कम्पनी की दशा में, निदेशक बोर्ड द्वारा इसकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा और अन्य किसी भी दशा में कारबार संचालन के लिये जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

*6. पृथक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के लिए पृथक प्ररूप प्रयोग करें।

प्ररूप-5

प्रयोग द्वारा समाप्त करने के आधार पर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की खरीद पर रिपोर्ट

रिपोर्ट की आवृत्ति : वार्षिक

जमा करने की अंतिम तारीख : कलैण्डर वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर

कंपनी का नाम.....रिपोर्ट की अवधि : जनवरी.....से दिसंबर,

भाग-क

(मीट्रिक टन में)

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का परिमाण		स्थानत: खरीदा गया ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का परिमाण	ऐसे भारतीय पूर्तिकार का नाम और पता जिससे ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ स्थानत: खरीदा गया
		*1 आयातित	*2 पुन: दावा		
	कुल				

प्ररूप-5, पृष्ठ-2

भाग-ख

(मीटरिक टन में)

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का नाम	ऐसे उद्यम/फर्म का नाम और पता जहां ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ उपयोग में लाये गये	*3 *वह उद्देश्य-3 जिसके लिये ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ उपयोग में लाये गये	उपयोग में लाये गये ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का परिणाम
	कुल			

हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

सत्यापन

मैं ..... सुपुत्र .....

सत्यनिष्ठता से यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और इससे संलग्न उपाबंध और विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण है।

मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मैं ..... की हैसियत में प्रस्तुत और सत्यापित कर रहा हूं और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं।

हस्ताक्षर *4

(मुद्रा सहित)

स्थान .....

तारीख .....

टिप्पण :

*1. प्ररूप 2 के अनुसार पूर्ण रिपोर्ट भेजी जानी है।

*2. प्ररूप 7 के अनुसार पूर्ण रिपोर्ट भेजी जानी है।

*3. प्रस्तावित है :—

(i) वायुचिकित्सीय एरोसाल्स का विनिर्माण औषधीय प्रयोजनों के लिए (मीटरड डोज इनहेलर्स को छोड़कर)

(xiii) फोम उत्पादों का विनिर्माण

(xiv) अग्निशामकों और अग्निशमन प्रणालियों का विनिर्माण

(xv) शीत शीतानुकूलकों का विनिर्माण

(xvi) अन्य प्रशीतनों और शीतानुकूलन उत्पाद (सर्पाइकों को छोड़कर) का विनिर्माण

(xvii) विलायक उपयोग

(xviii) उत्पादित उपयोग

(xix) विक्रय करना

(xx) अग्निशामकों या अग्निशमन प्रणालियों का संयोजन

(xxi) औषधीय प्रयोजनों के लिए मीटरड डोज इनहेलर्स

(xxii) सर्पाइकों का विनिर्माण

(xxiii) अन्य, विनिर्दिष्ट करें।

*4. उपरोक्त प्ररूप जिसके अंतर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यष्टि की दशा में स्वयं उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा; हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा; किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदारी द्वारा; किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा, इसकी ओर से सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्ररूप-6

फायदाग्राही कम्पनियों द्वारा गैर-ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उपभोग पर रिपोर्ट * '

रिपोर्ट की आवृत्ति : प्रतिवर्ष

भेजने के लिए अंतिम तारीख : कलैण्डर वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर

रिपोर्ट की कालावधि : जनवरी-दिसंबर 20 .....

कंपनी का नाम .....

(मीटरिक टन में)

क्रम. सं.	कारखानों का पता	गैर-ओजोन अवक्षय-कारी पदार्थों के साथ विनिर्माण संक्रियाओं के प्रारंभ की तारीख	संपरिवर्तन से पूर्व प्रयुक्त ओजोन अव-क्षयकारी पदार्थ का नाम (यदि लागू हो)	संपरिवर्तन से पूर्व 12 मास की अवधि में प्रयुक्त ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की मात्रा	*प्रयोजन जिसके लिए गैर-ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ उपयोग में लाया जाता है (यदि लागू हो)	उपयोग में लाए जाने वाले गैर अवक्षय-कारी पदार्थ का नाम	रिपोर्ट अवधि के दौरान प्रयुक्त गैर-ओजोन अवक्षय-कारी पदार्थ की मात्रा
				योग			

** हस्ताक्षर

(मुद्रा सहित)

प्ररूप 6, पृष्ठ 2

सत्यापन

मैं ..... सुपुत्र ..... सत्यनिष्ठता से यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और इससे संलग्न उपाबंध और विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण है।

मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मैं ..... की हैसियत में प्रस्तुत और सत्यापित कर रहा हूं और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं।

** हस्ताक्षर

(मुद्रा सहित)

स्थान .....

तारीख .....

टिप्पण :

*1. यह रिपोर्ट ऐसी सभी कंपनियों द्वारा भेजी जानी है। जिसके नाम नियम 6(2) या नियम 14(3) के अधीन अधिसूचित कर दिए गए हैं।

*2 प्रस्तावित है :

(i) एरोसाल्स का विनिर्माण औषधीय प्रयोजनों के लिए (मीटरी डोज इनहेलर्स को छोड़कर)

(ii) फोम उत्पादों का विनिर्माण

(iii) अग्निशामकों और अग्निशमन प्रणालियों का विनिर्माण

(iv) चल वातानुकूलकों का विनिर्माण

(v) अन्य प्रशीतनों और वातानुकूलन उत्पाद (संपीड़कों को छोड़कर) का विनिर्माण

(vi) विलायक उपयोग।

(vii) उन्मुक्ति प्रयोग।

(viii) अग्निशामकों या अग्निशमन प्रणालियों का सर्विसिंग।

(ix) संपीड़कों का विनिर्माण।

(x) अन्य विनिर्दिष्ट करें।

*3. उपरोक्त प्ररूप जिसके अन्तर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यष्टि की दशा में स्वयं उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा : किसी कंपनी की दशा में इस निमित्त निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके पारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्ररूप-7

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के पुनरुद्धार पर रिपोर्ट

रिपोर्ट की आवृत्ति : प्रतिवर्ष

भेजने के लिए अंतिम तारीख : कलैण्डर वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर

कंपनी का नाम ..... रिपोर्ट की अवधि : जनवरी-दिसंबर, 20...

(मैट्रिक टन में)

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के नाम*1	पुन: प्राप्त ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की मात्रा*2	उस कम्पनी/स्थल का नाम जिससे ओजोन अवक्षय-कारी पदार्थ की पुन: प्राप्ति हुई थी	पुनरुद्धारित*3 ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की मात्रा	स्थल का नाम और पता जिस पर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का पुनरुद्धार किया था।
	योग				

*4 हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

प्ररूप-7 पृष्ठ 2

सत्यापन

मैं ..... पुत्र ..... सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और इससे संलग्न उपाबंध और विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं।

मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मैं ..... की हैसियत से प्रस्तुत और सत्यापित कर रहा हूं और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं।

हस्ताक्षर *4

मुद्रा सहित

स्थान .....

तारीख .....

टिप्पण :

*1. कृपया संभा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की सूची के लिए अनुसूची-I देखिए।

*2. "पुन: प्राप्ति" मशीनरी उपस्कर संरोधन वाहिकाओं कन्टेनमेंट पम्प से ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का सर्विसिंग के दौरान या निस्तारण से पूर्व संग्रहण और संचयन।

*3. "पुनरुद्धार" फिल्टरकारी, शुष्कन, आसवन और रासायनिक उपचार जैसी क्रिया विधि के माध्यम से काम करने के किसी विनिर्दिष्ट स्तर तक उस पदार्थ का प्रत्यावर्तन करने के लिए किसी पुनरुद्धार ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का पुन:प्रसंस्करण और उन्नथम यदि केन्द्रीय प्रसंस्करण सुविधा में "आफ साइड" प्रसंस्करण बार-बार होता है।

*4. उपरोक्त प्ररूप जिससे अंतर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यष्टि की दशा में स्वयं उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा; हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदारी द्वारा; कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा; इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्ररूप-8

नष्ट किए गए ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की मात्रा पर रिपोर्ट

रिपोर्ट की आवृत्ति : प्रतिवर्ष

रिपोर्ट भेजने के लिए अंतिम तारीख : कलैण्डर वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर

रिपोर्ट की अवधि : जनवरी-दिसंबर 20.....

कंपनी का नाम .....

(मैट्रिक टन में)

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के नाम	नष्ट की गई मात्राएं*1

हस्ताक्षर *2

मुद्रा सहित

सत्यापन

मैं ..... पुत्र ..... सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और इससे संलग्न उपाबंध और विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण है।

मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मैं ..... की हैसियत से प्रस्तुत और सत्यापित कर रहा हूं और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं।

हस्ताक्षर *2

मुद्रा सहित

स्थान .....

तारीख .....

टिप्पण :

*1. नष्ट की गई मात्रा नियोजित सुविधा की नाशकरण दक्षता के आधार पर संगणित की जानी चाहिए।

*2. उपरोक्त प्ररूप जिसके अंतर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यष्टि की दशा में स्वयं उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा ; हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा; किसी भागीदारी फर्म दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा; किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्ररूप 9, पृष्ठ-1

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ उत्पादन करने वाले उद्यमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप

[नियम 3 (1)]

1. उद्यम का नाम :

2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता (तहसील, जिला, राज्य सहित) :

3. कारखानों की विशिष्टियां :

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का नाम *1	कारखाना का पता जहां ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का उत्पादन किया जाता है (तहसील जिला, राज्य सहित)	निगमन या रजिस्ट्रीकरण की तारीख	वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख
1.				
2.				
3.				
4.				

4. उद्यम के व्यवसाय गृह/समूह का नाम :

5. कृपया प्रबंध निदेशक या मुख्य अधिशासक का नाम लिखिए :

प्ररूप 9—पृष्ठ 2

6. कृपया उद्यम के अंतिम तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, संपरीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा की प्रत्येक की एक-एक प्रति संलग्न करें।

आवेदक के हस्ताक्षर *2

मुद्रा सहित

सत्यापन

मैं.....सुपुत्र.....सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और इससे संलग्न उपाबंध और विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं।

मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मैं .....की हैसियत से प्रस्तुत और सत्यापित कर रहा हूं।

स्थान ..... मुद्रा सहित

तारीख ..... हस्ताक्षर *2

टिप्पण :

*1. कृपया सभी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की सूची के लिए अनुसूची-1 देखिए ।

*2. उपरोक्त प्रारूप जिसके अन्तर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यष्टि की दशा में स्वयं उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा; हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा; किसी भागीदारी फर्म की दशा में उपबंध भागीदार द्वारा; किसी कम्पनी की दशा में निदेश बोर्ड द्वारा; इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्ररूप 10—पृष्ठ 1

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ विक्रय करने वाले उद्यमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप

[नियम 6 (1)]

1. फर्म का नाम :

2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता (तहसील, जिला, राज्य सहित) :

3. रजिस्ट्रीकरण की तारीख और उस अधिनियम का नाम जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है। (ऐसे रजिस्ट्रीकरण की एक प्रति संलग्न की जाए)

4. विक्रय स्थान की विशिष्टियां :

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का नाम 1	विक्रय स्थान का पता	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के विक्रय के आरंभ की तारीख	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उत्पादक/आयातकर्ता का नाम और पता जिससे पिछले बारह महीनों के दौरान ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का क्रय किया गया

प्ररूप 10—पृष्ठ 2

5. स्वत्वाधारी या मुख्य कार्यपालक का नाम :

6. कृपया अंतिम आय-कर निर्धारण आदेश की अंतिम प्रति संलग्न करें :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मुद्रा सहित*1

सत्यापन

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर क्रम 1 में वर्णित उद्यम/फर्म ने किसी अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं ..... सुपुत्र ..... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और उपाबंध तथा इससे संलग्न विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं ..... की हैसियत से और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं। यह घोषणा कर रहा हूं और इसे सत्यापित कर रहा हूं।

स्थान ..... *2 हस्ताक्षर .....

तारीख ..... मुद्रा सहित

टिप्पण

*1 कृपया सभी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की सूची के लिए अनुसूची 1 देखें

*2. उपरोक्त प्ररूप जिसके अंतर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यष्टि की दशा में स्वयं व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, कर्ता द्वारा; किसी भागीदारी फर्म की दशा में, प्रबंध भागीदार द्वारा; किसी कंपनी की दशा में, निदेशक बोर्ड द्वारा; इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्ररूप 11—पृष्ठ 1

अनुसूची 3 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को उपयोग करने वाले उद्यमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप।

[नियम 8 (1)]

भाग अ

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उपयोग करने वाले उत्पादों के विनिर्माताओं के संबंध में क्रियाकलाप

1. उद्यम का नाम :

2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता (तहसील, जिला राज्य सहित)

3. कारखानों की विशिष्टियां :

क्रम सं.	उस कारखाने का पता, जहां ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उपयोग करके उत्पादन किए जाते हैं (तहसील, जिला, राज्य सहित)	उन उत्पादों का नाम जिनका विनिर्माण किया जा रहा है*1	निगमन/ रजिस्ट्री-करण की तारीख	वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की तारीख
1.				
2.				
3.				
4.				

4. उस व्यवसायी गृह/समूह का नाम जिससे उद्यम संबंध रखता है :

5. कृपया प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक का नाम लिखें

अनुसूची-10

प्ररूप 11—पृष्ठ 2

6. कृपया उद्यम की अंतिम वार्षिक रिपोर्ट, संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा प्रत्येक की एक प्रति संलग्न करें—

आवेदक के हस्ताक्षर*2

मुद्रा सहित

सत्यापन

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर क्रम 1 में वर्णित उद्यम/फर्म ने ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन किसी अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं ..... सुपुत्र ..... सत्यानिष्ठा से संलग्न यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और इससे उपाबंध और विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं ..... की हैसियत से और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं। यह घोषणा कर रहा हूं और इसे सत्यापित कर रहा हूं।

**-हस्ताक्षर .....

मुद्रा सहित

स्थान .....

तारीख .....

टिप्पण :

*1. उत्पाद जिसमें निम्नलिखित में से एक सम्मिलित होगा :

(i) एरोसोल (औषधियों के प्रयोजन के लिए मीटर्ड डोज इनहेलर्स के सिवाय); (ii) फोम उत्पाद; (iii) अग्निशमक या अग्निशामक पद्धति; (iv) चालित वातानुकूलन; (v) अन्य प्रशीतन और वातानुकूलन उत्पाद (संपीड़कों के सिवाय); (vi) वे उत्पाद जहां ओज़ोन अवक्षयकारी पदार्थ विलायक रूप में उपयोग किए जाते हैं (vii) औषधियों के प्रयोजन के लिए मीटर्ड डोज इनहेलर्स।

*2 उपरोक्त प्ररूप जिसके अंतर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यष्टि की दशा में स्वयं व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हिन्दू अविभक्त, कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा, किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्ररूप 11—पृष्ठ 2

भाग आ

अग्निशामकों या अग्निशमक पद्धति की सर्विसिंग करने के संबंध में क्रियाकलाप

1. उद्यम/फर्म का नाम :

2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम :

(तहसील, जिला और राज्य सहित)

3. रजिस्ट्रीकरण की तारीख और उस अधिनियम का नाम जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण किया गया है

(रजिस्ट्रीकरण की एक प्रति संलग्न की जाए)

4. सर्विसिंग अग्निशमक : हां/नहीं

5. सर्विसिंग अग्निशमक पद्धतियां: हां/नहीं

6. सर्विसिंग स्थान का पता :

7. सर्विसिंग क्रियाकलापों के आरंभ की तारीख :

8. स्वत्वधारी/मुख्य कार्यपालक समिति का नाम :

9. कृपया उद्यम की अंतिम वार्षिक रिपोर्ट, संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा या आय-कर निधारण आदेश प्रत्येक की एक प्रति संलग्न करें।

आवेदक का हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

सत्यापन

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर क्रम 1 में वर्णित उद्यम/फर्म ने ओजोन अवक्षयकारी (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं .....सुपुत्र.....सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और उपाबंध तथा इससे संलग्न विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं.....की हैसियत से घोषणा और इसे सत्यापित कर रहा हूं और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान..... ** हस्ताक्षर.....

तारीख..... मुद्रा सहित

टिप्पण :

*1. उपरोक्त प्ररूप जिसके अन्तर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यष्टि की दशा में स्वयं व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा, किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्ररूप—12

संपीडकों के विनिर्माण, आयात, निर्यात और विक्रय पर रिपोर्ट

रिपोर्ट की आवृत्ति : त्रिमाही

रिपोर्ट को भेजने के लिए अंतिम तारीख त्रिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर

कम्पनी का नाम ..... रिपोर्ट की अवधि .....

क्रम सं.	संपीडिक का आकार	उत्पादित संपीडिक की सं.	आयातित संपीड़कों की सं.	निर्यातित	भारत में विक्रीत संपीड़कों की सं.	भारतीय क्रेता का नाम और पता	यदि संपीडिका कम्पनी के परिसर में चार्ज किया गया था तो अपवर्तक का नाम	उपयोग में लाए गए अपवर्तक की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग							

*1 हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

प्ररूप—12 पृष्ठ—2

सत्यापन

मैं ..... सुपुत्र ..... सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और उससे संलग्न उपाबंध और विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं।

मैं आगे घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मैं ..... की हैसियत से प्रस्तुत और सत्यापित कर रहा हूं और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं।

*1 हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

स्थान .....

तारीख .....

टिप्पण

*1. उपरोक्त प्ररूप जिसके अंतर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यष्टि की दशा में स्वयं उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा, किसी कम्पनी की दशा में इस निमित्त निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्ररूप—13 पृष्ठ—1

संपीडिकों के विनिर्माता, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता उद्यमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप

(नियम 12)

1. उद्यम/फर्म का नाम :
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम
   (तहसील, जिला, राज्य सहित) :
3. संपीडित्र विनिर्माता
   कारखानों की विशिष्टियां
   (विनिर्माताओं के लिए) :

क्रम सं.	संपीडित्र बनाने वाले उस कारखाने का पता जहां पर संपीड़ित्र का उत्पादन किया जाता है (तहसील, जिला, राज्य सहित)	निगमन या रजिस्ट्रीकरण की तारीख	वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख
1	2	3	4
1.			
2.			

4. आयातों के संबंध में विशिष्टियां :
   (आयातकर्ताओं के लिए)

क्रम. सं.	उन कम्पनियों का पता जहां से आयात किया जाता है	आयातों के आरंभ की तारीख
1	2	3
1.		
2.		

प्ररूप—13 पृष्ठ—2

5. विक्रय स्थान की विशिष्टियां :
   (निर्यातकर्ताओं और/या व्यापारियों :
   के लिए)

क्रम सं.	विक्रय स्थानों का पता	विक्रय के आरंभ की तारीख	निर्यात के आरंभ की तारीख
1	2	3	4
1.			
2.			

6. उद्यम से संबंधित व्यवसाय
   गृह/समूह का नाम
7. कृपया प्रबंध निदेशक या मुख्य अधिशासक
   का नाम लिखिए
8. कृपया उद्यम/फर्म की अंतिम वार्षिक रिपोर्ट, संपरीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा या आयकर निर्धारण आदेश की प्रत्यंक की एक प्रति संलग्न करें।

** आवेदक के हस्ताक्षर
मुद्रा सहित

सत्यापन

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर क्रम 1 में उल्लिखित उद्यम/फर्म ने ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन नहीं किया है।

मैं .....सुपुत्र.....सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और इससे संलग्न उपाबंध और विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं।

मैं आगे घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मैं.....की हैसियत से प्रस्तुत और सत्यापित कर रहा हूं और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं।

हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

स्थान.....

तारीख.....

प्ररूप—13 पृष्ठ—3

टिप्पण

*1. उपरोक्त प्ररूप जिसके अंतर्गत सत्यापन भाग भी है व्यष्टि की दशा में स्वयं उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा, हिन्दु-अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्त्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा, किसी कम्पनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्ररूप—14

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ पुनरुद्धार/नाशन उद्यमों के रजिस्ट्रीकरण *1 के लिये प्ररूप

(नियम 11)

1. उद्यम का नाम :
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
   (तहसील, जिला, राज्य सहित) :
3. कारखानों की विशिष्टियां

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ *1 का नाम	जहां ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का पुनरुद्धार/नाश किया जा रहा है उस कारखाने का पता (तहसील, जिला, राज्य सहित)	निगमन या रजिस्ट्रीकरण की तारीख	वाणिज्यिक पुनरुद्धार नष्ट करने के आरंभ की तारीख
1.				
2.				
3.				
4.				

4. उद्यम से संबंधित व्यवसाय गृह/ग्रुप का नाम :
5. कृपया प्रबंध निदेशक या मुख्य अधिशासक का नाम लिखिए।
6. कृपया उद्यम की अंतिम वार्षिक रिपोर्ट संपरीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा की प्रत्येक की एक प्रति संलग्न कीजिये।

*1 आवेदक के हस्ताक्षर.....

मुद्रा सहित

सत्यापन

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर क्रम 1 में उल्लिखित उद्यम/फर्म ने ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन नहीं किया है।

मैं .....सुपुत्र.....सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और उससे संलग्न उपाबंध और विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं।

मैं आगे घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मैं.....को हैसियत में प्रस्तुत और सत्यापित कर रहा हूं और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं।

*1 हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

स्थान.....

तारीख.....

टिप्पण :

*1. उपरोक्त प्ररूप जिसके अंतर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यष्टि की दशा में स्वयं उस व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा, हिन्दू-अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा, किसी कम्पनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

*2. कृपया पुनरुद्धार और नाशन के लिए पृथक प्ररूप का उपयोग करें।

*3. कृपया सभी ओजोन अवक्षयंकारी पदार्थों की सूची के लिए अनुसूची 1 देखिए।

अनुसूची 12

(नियम 6 (1), 7 देखिए)

भाग—I

अंतिम उपयोग घोषणा

1. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के विक्रेता के संबंध में जानकारी :

प्रदायकर्ता का नाम :—

.....

पता .....

2. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के क्रेता के संबंध में जानकारी

प्राप्तिकर्ता का नाम : .....

पता :

फैक्स नं० :

टेलिफोन नं० :

3. रजिस्ट्रीकरण सं. .....

4. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम और पता : .....

5. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का नाम	किस प्रयोजन *1 के लिये ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ क्रय किया जाता है	क्रय किये गये ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की मात्रा कि. ग्रा.
		कि. ग्रा.

6. क्या क्रेता ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की बाबत लागू भारतीय विधि के अधीन किसी अपराध के लिए कभी दोषसिद्ध ठहराया गया है।

.....हां .....नहीं

*3 ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के क्रेता के हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

सत्यापन :

मैं ..... सुपुत्र ..... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और उपाबंध तथा इससे संलग्न विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं ..... की हैसियत से यह घोषणा कर रहा हूँ और इसे सत्यापित कर रहा हूँ और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान

तारीख

*3. हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

टिप्पण :

*1 प्रस्तावित है :

(i) एरोसोल (औषधीय प्रयोजन के लिए मीटर्ड डोज इन्हेलर के सिवाय) का विनिर्माण

(ii) फ्लॉम उत्पादों का विनिर्माण

(iii) अग्निशामक और अग्निशमक पद्धतियों का विनिर्माण

(iv) चालित वातानुकूलन का विनिर्माण

(v) अन्य प्रशीतन और वातानुकूलन उत्पादों का विनिर्माण (संपीडित्रों को छोड़कर)

(vi) विलायक उपयोग

(vii) उन्मुक्ति उपयोग

(viii) विक्रय

(ix) अग्निशामकों या अग्निशमक पद्धतियों की सर्विसिंग (समूह 2 ओडीएस के लिए लागू)

(x) औषधीय प्रयोजन के लिए मीटर्ड डोज इन्हेलर्स का विनिर्माण

(xi) संपीडित्र का विनिर्माण

(xii) अन्य-विनिर्दिष्ट करें (सर्विसिंग को छोड़कर)

*2. ऐसे ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की मात्रा के लिए एक पृथक प्ररूप का उपयोग करें जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने इन नियमों से छूट प्रदान की है।

*3. उपरोक्त प्ररूप जिसके अन्तर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यष्टि की दशा में स्वयं व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा, किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

भाग—II

ऐसा कोई व्यक्ति जो ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का क्रय कर रहा है ऊपर भाग I में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ ऐसे ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के विक्रेता के समक्ष नियम 8(1) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति किसी कंपनी की दशा में कंपनी सचिव या कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा और किसी अन्य दशा में पब्लिक नोटरी या किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये। ऐसा व्यक्ति जो ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का विक्रय कर रहा है वह ऊपर भाग I में विनिर्दिष्ट घोषणा के क्रम संख्यांक 2, 3 और 4 में दी गई विशिष्टियों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित तत्स्थानी विशिष्टियों के साथ सत्यापित करेगा।

[फा. सं. 16(1)/96—ओ एम]

अशोक कुन्द्रा, विशेष सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2000

S.O. 670(E).— Whereas the draft Ozone Depleting Substances (Regulation) Rules, 2000 were published, under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 69(E), dated, the 25th January, 2000, in the Gazette of India, Extra-ordinaty, Part II, section3, sub-section(ii) at pages 39-96 on the same date, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby,before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 26.01.2000;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6,8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby makes the following rules for regulating ozone depleting substances, namely :-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** .- In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) "authority" means an authority mentioned in columns (4)and (6) of Schedule V;

(c) "base level' means the quantity of ozone depleting substance produced or consumed, as the case may be, in the year or average of the years listed in column (3) of Schedule II and Schedule III;

(d) "consumption" with respect to any ozone depleting substance means the amount of that substance produced in India in addition to the amount imported, less the amount exported;

(e) "calculated level of production, sale, import or export", as the case may be, means level determined by multiplying quantity of the ozone depleting substance by its ozone depleting potential specified in column (5) of Schedule I;

(f) "calculated level of consumption" shall be determined by adding together calculated levels of production and imports and subtracting calculated level of exports;

(g) "Group" means collection of one or more ozone depleting substances as specified in column (4) of Schedule I;

(h) "manufacture" in relation to any ozone depleting substance includes-

(i) any process or part of a process for making, altering, finishing, packing, labelling, blending or otherwise treating or any ozone depleting substance with a view to sell, distribute or use but does not include the repacking or breaking up of any ozone depleting substance in the ordinary course of retail business; and

(ii) any process in which a preparation containing ozone depleting substance is formulated;

(i) "ozone depleting substance" means the ozone depleting substances specified in column (2) of Schedule I, whether existing by itself or in a mixture, excluding any such substance or mixture (blend) which is in a manufactured product other than a container used for the transportation or storage of such substance;

(j) "parties" means, unless the text otherwise indicates, parties to the protocol;

(k) "pre-shipment applications" are those treatments applied directly preceding and in relation to export, to meet the phytosanitary or sanitary requirements of the importing country or existing phytosanitary or sanitary requirements of the exporting country;

(l) "production" in relation to any ozone depleting substance means the manufacture of an ozone depleting substance from any raw material or feedstock chemicals, but does not include-

(i) the manufacture of a substance that is used and entirely consumed (except for trace quantity) in the manufacture of other chemicals; or

(ii) quantities which are produced incidentally in the manufacture of other chemical substances; or

(iii) quantities which are recycled or reused; or

(iv) quantities which are destroyed by technologies to be specified by the Central Government;

(m) "protocol" means the Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer, adopted on 16th September 1987;

(n) "quarantine applications", with respect to Group VIII of Schedule I ozone depleting substance, are treatments to prevent the introduction, establishment and or spread of quarantine pests (including diseases), or to ensure their control as specified by the Central Government;

(o) "recovery" means collection and storage of ozone depleting substances from machinery, equipment. or containment vessel during servicing or prior to disposal;

(p) "reclamation" means reprocessing and upgrading of a recovered ozone depleting substance through such methods as filtering, drying, distillation and, or chemical treatment in order to restore the substance to a specified standard of performance.

(q) "schedule" means a schedule annexed to these rules.

3. **Regulation of production and consumption of ozone depleting substances.**- (1) No person shall produce or cause to produce any ozone depleting substance after the date specified in column (5) of Schedule V unless he is registered with the authority specified in column (4) of that Schedule :

Provided that for the twelve month period commencing on the date specified in column (6) of Schedule II, and in each twelve month period thereafter, no person shall produce or cause to be produced any group of ozone depleting substances in excess of the corresponding percentage of his calculated base level of production specified in column (4) of that Schedule:

Provided further that calculated level of consumption of such substances in India shall, as a percentage of calculated level of consumption in base years does not exceed the number specified in column (5) of Schedule II.

(2) No person shall produce or cause to produce ozone depleting substances specified as Group I and Group III in column (4) of Schedule I during the period from 1, August, 2000 to 1st January, 2010 in excess of the quantity specified in column (4) of Schedule III and the calculated level of consumption of such substances in India shall as a percentage of calculated level of consumption in base year does not exceed the number specified in column (5) of that Schedule.

(3) A person having received financial assistance from the Multilateral Fund in accordance with article 10 and 10 A of the protocol to which the Central Government is a party for gradual reduction of production of ozone depleting substances specified as Group I and Group III in column (4) of Schedule I shall, limit the production of ozone depleting substances as specified in Group I and Group III in column (4) of Schedule I in each year from 1st August, 2000 to January 1, 2010 to quantities specified in column (4) for each year given in column (6) of Schedule III as per the agreement approved, by the Executive Committee of the Multilateral Fund.

(4) In order to implement the agreement, referred to in sub-rule (3), the Central Government shall introduce implementation modalities, such as, quota system for producing Chloroflurocarbons and the non-compliance with such modalities shall result in consequential penalties laid out in the agreement.

4. **Prohibition on export to or import from countries not specified in Schedule VI.-** No person shall import or cause to import from or export or cause to export to any country not specified in Schedule VI any ozone depleting substance after the commencement of these rules.

5. **Ozone depleting substances are to be exported to or imported from countries specified in Schedule VI under a licence.-** (1) No person shall import or cause to import from or export or cause to export to, any country specified in Schedule VI, any ozone depleting substance unless he obtains a licence issued by the authority.

(2) No licence shall be issued under sub-rule (1) unless the said authority is satisfied that the grant of licence shall not cause calculated level of consumption of that group of ozone depleting substances (except Group I and Group III given in column (4) of schedule I in the relevant twelve month period, as a percentage of corresponding calculated consumption in base years, to exceed the number specified in column (5) of Schedule II.

(3) No licence shall be issued under sub rule (1) unless the said authority is satisfied that the grant of licence shall not cause calculated level of consumption of ozone depleting substance given in Group 1 and III in column (4) of Schedule I in the relevant twelve months period as specified in column (6) of Schedule III, as a percentage of calculated consumption in base years to exceed the number specified in column (5) of that Schedule.

(4) The calculated base level of consumption and the calculated base level of production for India as a whole for each group of ozone depleting substances shall be notified by the Central Government.

6. **Regulation of the sale of ozone depleting substances.-** (1)No person shall either himself or by any other person on his behalf or enterprise sell, stock or exhibit for sale or distribute any ozone depleting substance after the date specified in column (5) of Schedule V unless he is registered with the authority specified in column (4) of that Schedule

Provided that no person or enterprise shall sell ozone depleting substances specified in column (3) of Schedule IV for activities specified in column (2) of that Schedule unless the person engaged in that activity has got himself registered with the authority and has given a declaration in accordance with these rules and the person selling ozone depleting substances has verified particulars of the registration given in the declaration with the certificate of registration as per procedure specified in Part II of Schedule XII :

Provided further that after the date specified in column (4) of Schedule IV, no person or enterprise shall sell, stock, distribute or exhibit or cause to be sold, stocked, distributed or exhibited ozone depleting substances specified in column (3) for activities specified in column (2) of that Schedule.

(2) No person shall either himself or by any person on his behalf, or enterprise sell, stock or exhibit for sale or distribute any ozone depleting substance to any person or enterprise who has informed the Central Government that he or that enterprise shall not use the specified ozone depleting substances in manufacturing or other activities after the date specified by such person or as the case may be, the enterprise.

(3) The Central Government shall notify the list of persons, ozone depleting substances and dates informed to it under sub-rule (2).

7. **Regulation on the purchase of ozone depleting substances.**- No person shall either himself or by any person on his behalf or enterprise, purchase ozone depleting substances specified in column (3) of Schedule IV from any person for making stock or for using such ozone depleting substances for activities specified in column (2) of that Schedule unless he has given the declaration specified in Part I of Schedule XII to the seller of such substances within the time period specified in Serial number 4 of column (5) of Schedule V.

8. **Regulation on the use of ozone depleting substance.**- (1)No person or enterprise shall engage in any activity specified in column (2) of Schedule IV that uses ozone depleting substances specified in column (3) of that Schedule after the date specified in column (5) of Schedule V unless he is registered with the authority specified in column (4) of that Schedule.

(2) No person shall engage in any activity specified in column (2) of Schedule IV using ozone depleting substances specified in column (3) of that Schedule after the date specified in column (5) of Schedule V unless the products are labelled to indicate the ozone depleting substance they contain.

(3) No person shall engage in any activity specified in column (2) of Schedule IV using ozone depleting substances specified in column (3) after the date specified in column (4) of that Schedule

(4) No person shall engage in any activity specified in column (2) of Schedule IV without using label indicating absence of use of ozone depleting substance mentioned in column (3) after the date specified in column (4) of that Schedule.

(5) A person, having received financial and technical assistance from the Multilateral Fund in accordance with the Article 10 and 10 A of the Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer, to which the Central Government is a Party for phasing out of ozone depleting substances specified in column (2) of Schedule II used in activities specified in column (2) of Schedule IV, either himself or by any person on his behalf or through any enterprise, shall not engage in such activity as specified in column (2) of Schedule IV using ozone depleting substances specified in column (3) of the Schedule, after the date of completion of the conversion work or signing of the Handing Over Protocol, or the submission of the completion report to change from ozone depleting substance technology to non ozone depleting substance technology and the said date be registered with the authority specified in column (4) of the Schedule V.

(6) Any person or enterprise having received, financial assistance from the Multilateral Fund in accordance with the Article 10 and 10 A of the Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer shall submit an affidavit or declaration with the authority specified in column (4) of Schedule V stating that replaced equipment, resulted from completion of conversion process from ozone depleting substance technology to non ozone depleting substance technology, have been destroyed,dismantled, rendered unusable and that no ozone depleting substance should be used after the date of the completion of project and the said date be registered with the authority specified in the column (4) of the Schedule V

9. **Prohibition on new investments with ozone depleting substances.**- (1) No person shall establish or expand or cause to establish or expand any manufacturing facility for production of any ozone depleting substance after the date specified in column (7) of Schedule II and III.

(2) No person shall establish or expand or cause to establish or expand any manufacturing facility, with a view to manufacturing products which contain, or are made with, any ozone depleting substance after the date specified in column (8) of Schedule II & III.

(3) A person having received financial and technical assistance from the Multilateral Fund in accordance with the Article 10 and 10A of the Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer for phasing out of ozone depleting substances specified in column (2) of Schedule II used in activities specified in column (2) of Schedule IV to which the Central Government is a Party, shall not establish or expand or cause to establish or expand the manufacturing facility for production of any ozone depleting substance or, with a view to manufacturing products which contain or are made with any ozone depleting substances after the approval of the project for conversion and date of completion of the conversion work from the ozone depleting substance technology to non ozone depleting substance technology.

10. **Regulation of import, export and sale of products made with or containing ozone depleting substances.**- (1) No person shall import or cause to import any product specified in column (2) of Schedule VII which are made with or contain ozone depleting substances specified in column (3) after the date specified in column (4) of that Schedule unless he obtains a license issued by the authority:

Provided that such products which do not contain such ozone depleting substances shall carry a label to that effect before its import is allowed after the date specified in Column 4 of Schedule VII.

(2) No person or enterprise shall export or cause to export any product specified in column (2) of Schedule VII unless such product carries a label specifying whether or not the product has been made with or contains, as the case may be, ozone depleting substances specified in column (3) of that Schedule, after the date specified in column (5) of that Schedule.

(3) No person shall either himself or by any other person or enterprise on his behalf sell, stock or exhibit for sale or distribute any product resulting out of activities, or provide services, specified in column (2) of Schedule IV using ozone depleting substances specified in column (3) after the date specified in column (4) of that Schedule.

11. **Regulation on reclamation and destruction of ozone depleting substances.**- (1) No person shall reclaim or cause to reclaim any ozone depleting substance after the date specified in column (5) of Schedule V unless he has registered with the authority specified in column (4) of that Schedule.

(2) No person shall destroy or cause to destroy any ozone depleting substance after the date specified in column (5) of Schedule V unless he has registered with the authority specified in column (4) of that Schedule.

12. **Regulation on manufacture, import and export of compressors.**- (1) No person shall manufacture, import or export compressors after the date specified in column (5) of Schedule V unless he is registered with the authority specified in column (4) of that Schedule.

13. **Procedure for registration, cancellation of registration and appeal against such orders.**- (1) The procedure for registration and conditions of registration under various provisions of these rules shall be as specified in Schedule IX.

(2) The registering authority shall not register if he is not satisfied that the procedure for registration or conditions of registration are fulfilled.

(3) The registering authority shall cancel the registration if he is satisfied that condition(s) of registration have been violated.

(4) The registering authority shall give the concerned person an opportunity of being heard before passing orders under sub-rules (2) and (3) and the orders shall be made in writing.

(5) An appeal against an order of the registering authority shall lie with the authority specified in column (6) of Schedule V within thirty days of communication of such order.

(6) The registration shall be valid for the period specified in Schedule IX and its renewal shall be necessary.

(7) The procedure for and conditions of renewal of registration shall be the same as applicable to registration.

14. **Monitoring and reporting requirements.**- (1) Every person who produces, imports, exports or sells any ozone depleting substance shall maintain records and file reports in the manner specified in Part I of Schedule X.

(2) Every person stocking or purchasing any ozone depleting substance for use in activities specified in column (2) of Schedule IV shall maintain records and file reports in the manner specified in Part II of Schedule X.

(3) Every person who has received technical or financial assistance from any international organisation or any financial assistance, which includes concession or exemption from payment of duties, from the Central Government, shall maintain records and file reports in the manner specified in Part III of Schedule X and the list of such persons shall be notified by the Central Government.

(4) Every person who has facility to reclaim an ozone depleting substance shall maintain records and file reports in the manner specified in Part IV of Schedule X.

(5) Every person who has facility to destroy any ozone depleting substance shall maintain records and file reports in the manner specified in Part V of Schedule X.

(6) Every person who manufactures, imports, exports or sells compressors shall maintain records and file reports in the manner specified in Part VI of Schedule X.

(7) The records maintained in accordance with the above sub-rules shall be made available for inspection as specified in Part VII of Schedule X.

15. **Exemption.**- (1) Nothing contained in these rules shall apply to applications or circumstances specified in Schedule VIII.

SCHEDULE - I

[See rule 2(e), (n), 3 (2) and (3), 5(3)]

List of ozone depleting substances

S.No.	Name of Ozone Depleting Substance	Chemical Composition of Ozone Depleting Substance	Group	Ozone Depleting Potential
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CFC-11	Trichlorofluoromethane ($CFCl_3$)	I	1.0
2.	CFC-12	Dichlorodifluoromethane (CF_2Cl_2)	I	1.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	CFC-113	Trichlorotrifluoroethane ($C_2F_3Cl_3$)	I	0.8
4.	CFC-114	Dichlorotetrafluoroethane ($C_2F_4Cl_2$)	I	1.0
5.	CFC-115	Chloropentafluoroethane (C_2F_5Cl)	I	0.6
6.	Halon-1211	Bromochlorodifluoromethane (CF_2BrCl)	II	3.0
7.	Halon-1301	Bromotrifluoromethane (CF_3Br)	II	10.0
8	Halon-2402	Dibromotetrafluoroethane ($C_2F_4Br_2$)	II	6.0
9.	CFC-13	Chlorotrifluoromethane (CF_3Cl)	III	1.0
10.	CFC-111	Pentachlorofluoroethane (C_2FCl_5)	III	1.0
11.	CFC-112	Tetrachlordifluoroethane ($C_2F_2Cl_4$)	III	1.0
12.	CFC-211	Heptachlorofluoropropane (C_3FCl_7)	III	1.0
13	CFC-212	Hexachlorodifluoropropane ($C_3F_2Cl_6$)	III	1.0
14.	CFC-213	Pentachlorotrifluoropropane ($C_3F_3C_5$)	III	1.0
15.	CFC-214	Tetrachlorotetrafluoropropane ($C_3F_4Cl_4$)	III	1.0
16	CFC-215	Trichloropentafluoropropane ($C_3F_5Cl_3$)	III	1.0
17	CFC-216	Dichlorophexafluoropropane ($C_3F_6Cl_2$)	III	1.0
18	CFC-217	Chloroheptafluoropropane (C_3F_7Cl)	III	1.0
1.	Carbon tetrachloride	Tetrachloromethane (CCl_4)	IV	1.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	Methyl chloroform	1, 1, 1-Trichloroethane ($C_2H_3Cl_3$)	V	0.1
21.	HCFC-21	Dichlorofluoromethane ($CHFCl_2$)	VI	0.04
22.	HCFC-22	Dichlorodifluoromethane (CHF_2Cl_2)	VI	0.055
23.	HCFC-31	Chlorofluoromethane (CH_2FCl)	VI	0.02
24.	HCFC-121	Tetrachlorodifluoroethane ($C_2HF_2Cl_4$)	VI	0.04
25.	HCFC-122	Trichlorodifluoroethane ($C_2HF_2Cl_3$)	VI	0.08
26.	HCFC-123	2, 2-dichloro-1, 1, 1-trifluoroethane ($C_2HF_3Cl_2$)	VI	0.06
27.	HCFC-123a	1,2-dichloro-1, 1, 2-trifluoroethane ($CHCl_2CF_3$)	VI	0.02
28.	HCFC-124	2-chloro-1, 1, 1, 2-trifluoroethane (C_2HF_4Cl)	VI	0.04
29	HCFC-124a	2-chloro-1, 1, 2, 2-trifluoroethane ($CHFClCF_3$)	VI	0.022
30.	HCFC-131	Trichlorofluoroethane ($C_2H_2FCl_3$)	VI	0.05
31.	HCFC-132	Dichlorodifluoroethane ($C_2H_2F_2Cl_2$)	VI	0.05
32.	HCFC-133	Chlorotrifluoroethane ($C_2H_2F_3Cl$)	VI	0.06
33.	HCFC-141	Dichlorofluoroethane ($C_2H_3FCl_2$)	VI	0.07
34.	HCFC-141b	1, 1-dichloro-1-fluoroethane (CH_3CFCl_2)	VI	0.11
35.	HCFC-142	Chlorodifluoroethane ($C_2H_3F_2Cl$)	VI	0.07

(1)	(2)	(3)	(4)	
36.	HCFC-142b	1-chloro-1, 1-difluoroethane (CH_3CF_2Cl)	VI	0.06
37	HCFC-151	Chlorofluoroethane (C_2H_4FCl)	VI	0.00
38.	HCFC-221	Hexachlorofluoropropane (C_3HFCl_6)	VI	0.07
39.	HCFC-222	Pentachlorodifluoropropane ($C_3HF_2Cl_5$)	VI	0.08
40.	HCFC-223	Tetrachlorotrifluoropropane ($C_3HF_3Cl_4$)	VI	0.08
41	HCFC-224	Trichlorotetrafluoropropane ($C_3HF_4Cl_3$)	VI	0.09
42.	HCFC-225	Dichloropentafluoropropane ($C_3HF_5Cl_2$)	VI	0.07
43.	HCFC-225ca	1, 3-dichloro-1,2, 2,3,3-pentafluoropropane ($CF_3CF_2CHCl_2$)	VI	0.025
44.	HCFC-225cb	1-3-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane (CF_2ClCF_2CHClF)	VI	0.033
45.	HCFC-226	Chlorohexafluoropropane (C_3HF_6Cl)	VI	0.10
46.	HCFC-231	Pentachlorofluoropropane ($C_3H_2FCl_5$)	VI	0.09
47.	HCFC-232	Tetrachlorodifluoropropane ($C_3H_2F_2Cl_4$)	VI	0.10
48.	HCFC-233	Trichlorotrifluoropropane ($C_3H_2F_3Cl_3$)	VI	0.23
49	HCFC-234	Dichlorotetrafluoropropane ($C_3H_2F_4Cl_2$)	VI	0.28
50.	HCFC-235	Chloropentafluoropropane ($C_3H_2F_5Cl$)	VI	0.52
51.	HCFC-241	Tetrachlorofluoropropane ($C_3H_3FCl_4$)	VI	0.09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52.	HCFC-242	Trichlorodifluoropropane ($C_3H_3F_2Cl_3$)	VI	0.13
53.	HCFC-243	Dichlorotrifluoropropane ($C_3H_3F_3Cl_2$)	VI	0.12
54.	HCFC-244	Chlorotetrafluoropropane ($C_3H_3F_4Cl$)	VI	0.14
55.	HCFC-251	Trichlorofluoropropane ($C_3H_4FCl_3$)	VI	0.01
56.	HCFC-252	Dichlorodifluoropropane ($C_3H_4F_2Cl_2$)	VI	0.04
57.	HCFC-253	Chlorotrifluropropane ($C_3H_4F_3Cl$)	VI	0.03
58.	HCFC-261	Dichlorofluoropropane ($C_3H_5FCl_2$)	VI	0.02
59.	HCFC-262	Chlorodifluoropropane ($C_3H_5F_2Cl$)	VI	0.02
60.	HCFC-271	Chlorofluoropropane (C_3H_6FCl)	VI	0.03
61	BFC-21B2	Dibromofluoromethane ($CHFBr_2$)	VII	1.00
62	HBFC-22B1	Bromodifluoromethane (CHF_2Br)	VII	0.74
63		Bromofluoromethane (CH_2FBr)	VII	0.73
64		Tetrabromofluoroethane (C_2HFBr_4)	VII	0.8
65		Tribromodifluoroethane ($C_2HF_2Br_3$)	VII	1.8
66	HBFC-123B2 HBFC-123aB2	Dibromotrifluoroethane ($C_2HF_3Br_2$)	VII	1.6
67	HBFC-124B1	Bromotetrafluoroethane (C_2HF_4Br)	VII	1.2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68.		Tribromofluoroethane ($C_2H_2FBr_3$)	VII	1.1
69.		Dibromodifluoroethane ($C_2H_2F_2Br_2$)	VII	1.5
70		Bromotrifluoroethane ($C_2H_2F_3Br$)	VII	1.6
71.		Dibromofluoroethane ($C_2H_3FBr_2$)	VII	1.7
72.	HBFC-124B1	Bromodifluoroethane ($C_2H_3F_2Br$)	VII	1.1
73.	HBFC-124B1	Bromofluoroethane (C_2H_4FBr)	VII	0.1
74.		Haxabromofluoropropane (C_3HFB_6)	VII	1.5
75.		Pentabromodifluoropropane ($C_3HF_2Br_5$)	VII	1.9
76.		Tetrabromofluoropropane ($C_3HF_3Br_4$)	VII	1.8
77.		Tribromotetrafluoropropane ($C_3HF_4Br_3$)	VII	2.2
78		Dibromopentafluoropropane ($C_3HF_5Br_2$)	VII	2.0
79.		Bromohaxafluoropropane (C_3HF_6Br)	VII	3.3
80.		Pentabromofluoropropane ($C_3H_2FBr_5$)	VII	1.9
81		Tetrabromodifluoropropane ($C_3H_2F_2Br_4$)	VII	2.1
82		Tribromotrifluoropropane ($C_3H_2F_3Br_3$)	VII	5.6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83.		Dibromotetrafluoropropane ($C_3H_2F_4Br_2$)	VII	7.5
84.		Bromopentafluoropropane ($C_3H_2F_5Br$)	VII	1.4
85.		Tetrabromofluoropropane ($C_3H_3FBr_4$)	VII	1.9
86		Tribromodifluoropropane ($C_3H_3F_2Br_3$)	VII	3.1
87		Dibromotriflvoropropane ($C_3H_3F_3Br_2$)	VII	2.5
88		Bromotetrafluoropropane ($C_3H_3F_4Br$)	VII	4.4
89		Tribromofluoropropane ($C_3H_4FBr_3$)	VII	0.3
90		Dibromodifluoropropane ($C_3H_4F_2Br_2$)	VII	1.0
91		Bromotrifluoropropane ($C_3H_4F_3Br$)	VII	0.8
92		Dibromofluoropropane ($C_3H_5FBr_2$)	VII	0.4
93		Bromodifluoropropane ($C_3H_5F_2Br$)	VII	0.8
94		Bromofluoropropane (C_3H_6FBr)	VII	0.7
95	Methyl bromide	(CH_3Br)	VIII	0.6

SCHEDULE – II

[See rule 2(c), 3(1), 5(2), 9]

Regulation on production and consumption of group of ozone depleting substances

S. No	Name of Group of Ozone Sub-stances	Year(s) relating to base level	Maximum allowable Production in a period of twelve months as percentage of calculated base level for Group as a whole	Maximum allowable consumption in a period of twelve months as percentage of calculated consumption of base years for Group as a whole	Date related to columns (4) and (5)	Ban on creating capacities for production of Ozone Depleting Substances	Ban of creating new capacities to manufacture products made with or containing Ozone Depleting Substances
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1(a)	II	1995-1997	110	100	1-1-2002	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
(b)	II	1995-1997	60	50	1-1-2005	--	--
(c)	II	1995-1997	0	0	1-1-2010 **	--	--
2(a)	IV	1998-2000	25	15	1-1-2005	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
(b)	IV	1998-2000	0	0	1-1-2010	--	--
3(a)	V	1998-2000	115	100	1-1-2003	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
(b)	V	1998-2000	80	70	1-1-2005	--	--
(c)	V	1998-2000	40	30	1-1-2010	--	--
(d)	V	1998-2000	0	0	1-1-2015	--	--
4(a)	VI	2015† 2016*	115	100	1-1-2016	Date on which these rules come into force	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(b)	VI	2015	0	0	1-1-2040	Date on which these rules come into force	--
5.	VII	----	0	0		-	--
6(a)	VIII	1995-1998	110	100	1-1-2002	Date on which these rules come into force	
(b)	VIII	1995-1998	80	80	1-1-2005	-	
(c)	VIII	1995-1998	0	0	1-1-2015	-	1.1.2015

* Freeze Year for production and consumption of Hydrochlorofluorocarbons (ozone depleting substance under Group VI) of Schedule I

** with possible essential use exemption.

↑ 2015 is the base level for all group VI substances.

SCHEDULE III

[See rule 2(c), 3(2), (3), 5(3), 9(1) & (2)]

Regulation on production and consumption of Group I & Group III ozone depleting substances Specified in column (4) of Schedule I.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S.No.	Name of Group Of Ozone Depleting Substances	Year(s) relating to base-level*	Maximum allowable Production (MT)in a period of twelve month for Group as a whole	Maximum allowable consumption in a period of twelve month as percentage of calculated level of consumption in base years for Groups as a whole	Date related to column (4) and (5)	Ban on creating capacities for production of Ozone Depleting Substances	Ban on creating new capacitie to manufactu products made with c containing Ozone Depleting Substances
1.	I III	1995-97 1998-2000	20,706 -	90%	31.12.2000	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
2.	I III	1995-97 1998-2000	18,824 -	83%	31.12.2001	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
3.	I III	1995-97 1998-2000	16,941	75%	31.12.2002	Date on which these rules come into force	Date which these rules rules come into force
4.	I III	1995-97 1998-2000	15,058	66%	31.12.2003	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
5.	I III	1995-97 1998-2000	13,176	58%	31.12.2004	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	I III	1995-97 1998-2000	11,294 -	50%	31.12.2005	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
7.	I III	1995-97 1998-2000	7,342	33%	31.12.2006	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
8.	I III	1995-97 1998-2000	3,389	15%	31.12.2007	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
9.	I III	1995-97 1998-2000	2,259 -	10%	31.12.2008	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
10.	I III	1995-97 1998-2000	1,130	10%	31.12.2009	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
11.	I III	1995-97 1998-2000			after 1.1.2010	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force

• save for any Chlorofluorocarbon production / consumption that may be agreed by the Parties to meet essential uses for India

SCHEDULE – IV

[See rule 6(1),7,8 (1),(2), (3), (4) and (5),9(3), 10(3)]

Regulation on consumption of ozone depleting substances on end use basis

S.No	Name of Activities	Name of Group of Ozone Depleting Substances	Phaseout Date *
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Manufacture of Aerosol products or pressurised dispensers (excluding metered dose inhalers for medicinal purpose).	Group I	1-1-2003
2.	Manufacture of Polyol for foam products	Group I	1-1-2003
3.	Manufacture of foam products including foam part of Domestic Refrigerator.	Group I	1-1-2003
4.	Manufacture of Fire Extinguishers or Fire Extinguishing Systems.	Group II	1-1-2001**
5.	Manufacture of Mobile Air-Conditioners and charging at Automobile industry	Group I	1-1-2003
6.	Manufacture of other Refrigeration and Air-conditioning products (excluding compressors)	Group I	1-1-2003
7.	Manufacture of different products	Group I, III, IV & V	1-1-2010
8.	Servicing of fire extinguishers and fire extinguishing systems.	Group II	1-1-2010**
9.	Manufacture of Metered Dose inhalers for medicinal purposes.	Group I	1-1-2010
10.	Manufacture of different products	Group VI	1-1-2040
11	Use of methyl bromide except preshipment & quarantine	Group VII	1-1-2015

* The phaseout date for person or enterprise who has received financial assistance for switching over to non ozone depleting substance technology or to establish or to expand new capacity with non ozone depleting substance technology is the date of completion of the conversion project or the date given in column (4) of Schedule IV which ever is earlier

** Except for essential use certified by the essential use panel

SCHEDULE – V

(See rule 2(b), 3(1), 6(1), 7, 8(1), (2),(5) & (6),11(1), (2), 12(1), 13(5)

List of authorities , their functions and last date for registration

Part – I for ozone depleting substances other than group VIII of Schedule-I

S. No	Rule No.	Function	Name of Authority	Last date for Registration	Name of Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	3(1)	Registration of producers of Ozone Depleting Substances	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests	Three months after commencement of the rules	Secretary, Ministry of Environment and Forests
2.	3,4, 5.10(1) 10(2)	Licence to import/export of products made with or containing Ozone Depleting Substances and Ozone Depleting Substances	Director General of Foreign Trade	—	---
3.	6(1)	Registration of traders / dealers/ wholesalers/ sellers of Ozone Depleting Substances	(i) An Officer of the particular Producer not below the rank of Manager, if the Ozone Depleting Substance has been produced in India.	One year after commencement of these rules	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests
			(ii) An officer of the particular Importer not below the rank of Manager, if the Ozone Depleting Substance has been imported.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	8(1)	Registration of persons / enterprises engaged in activities specified in column (2) of Schedule-IV (whose capital investment is less than Rs 1 crore.)	Officer-in-charge of the office Small Industries Services Institute in respective jurisdiction under Small Industries Development Organisation under the Ministry of Small Scale, Agro and Rural Industries.	One year after commencement of these rules	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests.
		Registration of persons engaged in activities in column (2) of Schedule IV. (whose capital investment is more than Rs.1 crore)	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests	One year after commencement of these rules	Secretary, Ministry of Environment and Forests
5.	11(1)	Registration of person having facilities to reclaim Ozone Depleting Substances	Officer-in-charge of the office of Small Industries Services Institute in respective jurisdiction under Small Industries Development Organisation under the Ministry of Small Scale, Agro and Rural Industries.	One year after commencement of these rules	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests
	11(2)	Registration of persons having facilities to destroy Ozone Depleting Substances	Officer-in-charge of the Office of Small Industries Services Institute in respective jurisdiction under Small Industries Development Organisation under the Ministry of Small Scale, Agro and Rural Industries	One year after commencement of these rules	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	12	Registration of manufacturers, importers & exporters of compressors / (whose capital investment is less than Rs. 1 crore)	Officer-in-charge of the Office of Small Industries Services Institute in respective jurisdiction under Small Industries Development Organisation under the Ministry of Small Scale, Agro and Rural Industries.	One year after commencement of these rules	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests.
		Registration of manufacturers, importers & exporters of compressors (whose capital investment is more than Rs.1 crore)	An officer not below the rank of Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests	One year after commencement of these rules	Secretary, Ministry of Environment and Forests

Part II – for Schedule 1, Group VIII ozone depleting substance

S. No	Rule No.	Function	Name of Authority	Last date of Registration	Name of Appeliate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	3(1) 6(1) 8(1) 11(1)	Registration	As specified in the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968)	As specified in the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968)	As specified in the Insecticides Act,1968 (46 of 1968)

SCHEDULE – VI
[See rule 4,5 (1)]

List of countries which are party to the 1987 Montreal Protocol

Part – I

List of Par categorized as operating under Article 5 paragraph 1 of the Montreal Protocol.

(1)	(2)
S.No.	Name of country
1	Algeria
2.	Antigua and Barbuda
3	Argentina
4	Bahamas
5.	Bahrain
6.	Bangladesh
7.	Barbados
8.	Belize
9	Benin
10	Bolivia
11.	Bosnia and Herzegovina
12.	Botswana
13.	Brazil
14.	Brunei Darussalam
15	Burkina Faso
16	Burundi
17	Cameroon
18.	Central African Republic
19	Chad
20.	Chile
21.	China
22.	Colombia
23.	Comoros
24	Congo
25	Congo, Democratic Republic of
26	Costa Rica
27	Cote Ivoire
28	Croatia
29	Cuba
30	Cyprus
31	Dominica
32	Dominican Republic
33	Ecuador

34.	Egypt
35.	El Salvador
36.	Ethiopia
37.	Fiji
38.	Gabon
39.	Gambia
40.	Georgia
41.	Ghana
42.	Grenada
43.	Guatemala
44.	Guinea
45.	Guyana
46.	Honduras
47.	India
48.	Indonesia
49.	Iran, Islamic Republic of
50.	Jamaica
51.	Jordan
52.	Kenya
53.	Kiribati
54.	Korea, Peoples Democratic Republic of
55.	Korea Republic of
56.	Kuwait
57.	Lao People's Democrtic Republic of
58.	Lebanon
59.	Lesotho
60.	Libyan Arab Jamahiriya
61.	Madagascar
62.	Malawi
63.	Malaysia
64.	Maldives
65.	Mali
66.	Malta
67.	Mauritania
68.	Mauritius
69.	Mexico
70.	Moldova
71.	Mongolia
72.	Morocco
73.	Mozambique
74.	Myanmar
75.	Namibia
76.	Nepal
77.	Nicaragua
78.	Niger
79.	Oman
80.	Nigeria
81.	Pakistan

(1.)	(2.)
82.	Panama
83	Papua New Guinea
84	Paraguay
85	Peru
86	Philippines
87	Qatar
88	Romania
89	Saint Kitts & Nevis
90	Saint Lucia
91	Saint Vincent & the Grenadines
92.	Samoa
93.	Saudi Arabia
94.	Senegal
95	Seychelles
96.	Singapore
97	Slovenia
98	Solomon Islands
99	South Africa
100.	Sri Lanka
101.	Sudan
102	Swaziland
103.	Syrian Arab Republic
104.	Tanzania, United Republic of
105.	Thailand
106.	The Former Yugoslav Republic of Mecedonia
107	Togo
108	Trinidad and Tobago
109	Tunisia
110	Turkey
111	Uganda
112	United Arab Emirates
113	Uruguay
114	Venezuela
115	Yemen
116	Viet Nam
117	Yugoslavia
118	Zambia
119	Zimbabwe

Part – II

List of Parties temporarily categorized as operating under Article 5 paragraph 1 of the Montreal Protocol.

(1)	(2)
1.	Albania
2.	Djibouti
3.	Federated States of Micronesia
4.	Liberia
5.	Marshall Islands
6.	Suriname
7.	Tonga
8.	Tuvalu
9.	Vanuatu

Part – III

List of Parties categorized as operating under Article 2 of the Montreal Protocol.

(1)	(2)
1.	Australia
2.	Austria
3.	Azerbaijan
4.	Belarus
5.	Belgium
6.	Brunei Darussalam
7.	Bulgaria
8.	Canada
9.	Czech Republic
10.	Denmark
11.	Equatorial Guinea
12.	Estonia
13.	Finland
14.	France
15.	Georgia
16.	Germany
17.	Greece
18.	Hungary
19.	Iceland
20	Ireland

(1)	(2)
21.	Israel
22.	Italy
23.	Japan
24.	Latvia
25.	Liechtenstein
26.	Lithuania
27.	Luxembourg
28.	Monaco
29.	Netherlands
30.	New Zealand
31.	Norway
32.	Poland
33.	Portugal
34.	Russian Federation
35.	Slovakia
36.	Spain
37.	Sweden
38.	Switzerland
39.	Tajikistan
40.	Turkmenistan
41.	Ukraine
42.	United Kingdom
43.	USA
44.	Uzbekistan
45.	European Community

SCHEDULE – VII
[See rule 10(1), (2)]

Regulation on import and export products containing ozone depleting substances

S. No	Name of Product	Name of Group of Ozone Depleting Substances	Date Regulation on Imports becomes effective	Date Regulation on Exports be-comes effective
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Automobile and truck air-conditioning units. (whether incorporated in vehicle or not)	Group I	Six months after these rules come into force	Six months after these rules come into force
2.	Domestic and commercial refrigeration and air-conditioning/heat pump equipment e.g. - Refrigerators - Freezers - Dehumidifiers - Water Coolers - Ice machines - Air conditioning and heat pump units - Compressors	Group I, Group VI	-do-	-do-
3	Aerosol products, expect medical aerosols	Group I	-do-	-do-
4	Portable fire extinguishers / System Cylinder	Group II	-do-	-do-
5.	Insulation boards, panels and pipe covers	Group I	-do-	-do-
6	Pre-polymers	Group I, Group VI	-do-	-do-

Note. 1. S No. 2, column (2) products include insulating material of the product.

2. All products mentioned above are excluded from the purview of this Schedule when transported in Consignments of personal or household effects or in similar non-commercial situations normally exempted from customs attention.

SCHEDULE – VIII

[See rule 15]

Exemption

(i) Use of Methyl Bromide, the ozone depleting substance covered in Group VIII of Schedule I, in quarantine and pre-shipment applications.

(ii) Ozone depleting substance which are used in laboratory or for analytical purposes subject to following conditions :-

(a) laboratory uses include equipment calibration; use as extraction solvents, diluents, or carriers for chemical analysis; biochemical research ; inert solvents for chemical reactions, as a carrier or laboratory chemical and other critical analytical and laboratory purposes.

(b) ozone depleting substances should have been manufactured to the following purities:

CTC (reagent grade)	99.5
1, 1, 1-trichloroethane	99.0
CFC-11	99.5
CFC-13	99.5
CFC-12	99.5
CFC-113	99.5
CFC-114	99.5
Other wl Boiling P > 20°C	99.5
Other wl Boiling P < 20°C	99.0

(c) these pure ozone depleting substances can be subsequently mixed by manufacturers, agents, or distributors with other chemicals, as is customary for laboratory and analytical uses.

(d) these high purity ozone depleting substance and mixtures containing ozone depleting substances shall be supplied only in re-closable containers or high pressure cylinders smaller than three litres or in 10 millilitre or smaller glass ampoules, marked clearly as ozone depleting substances, restricted to laboratory use and analytical purposes and specifying that used or surplus ozone depleting substances should be collected and recycled, if practical. The ozone depleting substances should be destroyed if recycling is not practical.

(iii) Import, export, and production of Group IV, Schedule I ozone depleting substances is excluded from the definition of consumption if such imports and production meant to be used in manufacture of ozone depleting substances specified in Group I of Schedule I.

(iv) Import and export of any recovered or reclaimed ozone depleting substances is excluded from the definition of consumption.

(v) Sub-rule (1) of rule 10 shall not apply to non-commercial sale of products which have been used for at least one year.

(vi) Any rule in public interest with specific approval of the Central Government.

(vii) Use of Group II substances of Schedule I for essential critical application shall as Defence Air Craft, Battle tank and Aviation Industries to be certified by an essential use panel.

SCHEDULE – IX

[See rule 13(1), 13(6)]

Part I

Procedure for Registration

1. Application for registration of producers of ozone depleting substances under sub-rule (1) of rule 3 shall be made in Form 9 of Schedule XI.

2. Application for registration of sellers of ozone depleting substances under sub- rule (1) of rule 6 shall be made in Form 10 of Schedule XI

3. Application for registration of persons under sub- rule (1) of rule 8 shall be make in Form 11 of Schedule XI.

4. Application for registration of persons reclaiming ozone depleting substances under sub-rule (1) of rule 11 shall be made in Form 14 of Schedule XI.

5. **Application for registration of persons destroying ozone depleting substances under sub-rule (2) of rule 11shall be made in Form 14 of Schedule XI.**

6. Application for registration of persons manufacturing, importing or exporting compressors shall be made in Form 13 of Schedule XI.

7. A Certificate of Registration shall be issued by the registering authority to those persons who have been registered in accordance with these rules.

8. The Certificate of Registration shall contain the following information: -

(a) Name of registering authority.
(b) Registration number.
(c) Information contained in application for registration (excluding enclosures).
(d) Signature and seal of registering authority.

Part II

Conditions of Registration/Renewal

1. The 'Certificate of Registration' shall be kept at the 'Registered Office' and shall be produced at any reasonable time on reproduced at any reasonable time on request before an Officer of the concerned authority no below in rank to a Section Officer to the Government of India or, in respect of registration under sub-rule (1) of rule 6 an Assistant Manager in the concerned producing enterprise.

2. The registration shall not be done, and shall cease to be valid, if the person to be registered or registered is in violation of these rules.

3. Registration under sub-rule (1) of rule 6 shall also be subject to commercial decision of the authority mentioned in column (4) of Schedule V, excluding such registration in respect of ozone depleting substances specified in Group VIII of Schedule I.

4. Notwithstanding generality of provision of para 2 above, registration shall not be renewed unless the applicant has complied with all the reporting requirements under these rules.

5. Validity of registration under these rules shall be for a period of eighteen months from the date of registration. Its renewal can be done anytime after twelve months from the date of registration/renewal. The renewal will also be valid for eighteen months.

SCHEDULE X

[See rule 14(1), (2), (3), (4), (5), (6) & (7)]

Part I

A. Records to be maintained

Records regarding production of ozone depleting substances

(1) Dated records and related documents in respect of each producing plant, of –

(a) The actual quantity of each ozone depleting substances produced;

(b) the actual quantity of each ozone depleting substance used as feed stock; and

(c) Information specified in 2(b) and 2(c) below. Records regarding sale and offer for sale of ozone depleting substances

(2) Dated records and related documents in respect of –

(a) the actual quantity of each ozone depleting Substances purchased

(b) the actual quantity of each ozone depleting substances sold within India; the name and address of the recipient of the each shipment and the purpose for which ozone depleting substances was purchased by the recipient. These purpose to be maintained are:

(i) Manufacture of Aerosols
(ii) Manufacture of foam products
(iii) Manufacture of fire extinguishers and fire extinguishers and fire extinguishing systems.
(iv) Manufacture of Mobile Air-conditioners
(v) Manufacture of other Refrigeration and Air-conditioning products.
(vi) Solvents use
(vii) Exempted use
(viii) Selling
(ix) Others (please specify).

Records regarding exports of Ozone.

(3) Dated records and related documents containing information in respect of each column of Form 3 or 4, as the case may be, of Schedule XI.

Records regarding imports of ozone depleting substances

(4) Dated records and related documents containing information in respect of each column of Form 5 or 6, as the case may be, of Schedule XI.

Record and related document of regarding manufacture import and export of compressor.

(5) Dated records and related document containing information in respect of each column of form 12 or 13, as the case may be, of Schedule XI.

Declaration signed by the recipient in Form 12 of Schedule XI.

B. Reports to be submitted

(1) Report on production of ozone depleting substances as per Form 1 of Schedule XI.

(2) Report on imports of ozone depleting substances as per Form 2 of Schedule XI.

(3) Report on exports of ozone depleting substances as per Form 3 of Schedule XI.

(4) Report on sales of ozone depleting substances as per Form 4 of Schedule XI.

(5) Reports mentioned in Sr. No.1 to 3 above shall be submitted to the Ministry of Environment and Forests. Report mentioned in Sr. 4 above shall be submitted the registering authority specified in column (4) of Schedule V, who will submit complied version of the reports, duly countersigned will also be submitted by such authority to the Ministry of Environment & Forests in hard copy as well as in floppy on request.

Part II

A. Records to be maintained

Records regarding purchase of ozone depleting substances for use in activities specified in column (2) of Schedule IV.

(1) Dated records of

(a) the actual quantity of each ozone depleting substances purchased from an Indian supplier and the name and address of the Indian supplier;

(b) the actual quantity of each ozone depleting substances used separately for each plant and each activity.

B. Records to be submitted

(1) Report on purchase of ozone depleting substances as per Form 5 of Schedule XI.

(2) These reports shall be submitted to the concerned registering authority specified in column (4) of Schedule V, who will submit compiled version of the report to the Ministry of Environment & Forests. Individual reports will also be submitted by such authority to the Ministry of Environment & Forests on request.

Part III

A. Records to be maintained

Records regarding purchase of non-ozone depleting substances by beneficiary companies for use in manufacture of products.

(1) Dated records and related documents in respect of:-

(1) Actual quantity of each non-ozone depleting substances purchased and the name and address of supplier;

(2) Actual quantity of each non-ozone depleting substances used in manufacturing operations separately for each plant and each manufacturing.

B. **Reports to be submitted**

(1) Report on use of non-ozone depleting substances by beneficiary companies as per Form 6 of Schedule XI.

(2) These reports shall be submitted to the concerned authority specified in column (4) of Schedule V, who will submit compiled version of the report to the Ministry of Environment & Forests. Individual reports will also be submitted by such authority to the Ministry of Environment & Forests on request.

Part IV

A. Records to be maintained

Records regarding reclamation

(1) Dated records and related documents in respect of –

(a) the actual quantity of each ozone depleting substances recovered; the name and address of the individual or company from which the ozone depleting substances is recovered and the name and address, if different of the site at which the ozone depleting substances is reclaimed;

(b) the actual quantity of each ozone depleting substances reclaimed.

B. Reports to be submitted

(1) Report on reclamation of ozone depleting substances as per Form 7 of Schedule XI.

(2) These reports shall be submitted to the Ministry of Environment & Forests through the concerned registering authority specified in column (4) of Schedule V.

Part V

A. **Records to be maintained**

Records regarding destruction

(1) Dated records of;

(a) the actual quantity of each ozone depleting substances destroyed on the basis of destruction efficiency of the facility employed.

B. Reports to be submitted

(1) Report on destruction of ozone depleting substances as per Form 8 of Schedule XI

(2) These reports shall be submitted to the Ministry of Environment & Forests through the concerned registering authority specified in column (4) of Schedule V

Part VI

A. Records to be maintained

Records regarding manufacture, import and export of compressor:

(1) Dated records and related documents containing information in respect of each column of Form 12 of Schedule XI.

B. Reports to be submitted

(1) Report on manufacture, import, export and sale of compressor and use of refrigerants in compressors sold as per Form 12 of Schedule XI.

(2) These reports shall be submitted to the concerned registering authority specified in column (4) of Schedule V, who will submit complied version of the report to the Ministry of Environment & Forests. Individual reports will also be submitted by such authority to the Ministry of Environment & Forests on request.

Part VII

Production of records

(1) Records being maintained pursuant to requirements of rule 13 shall be available for inspection at any reasonable time on request by an officer of the registering authority specified in column (4) of Schedule V, not below in rank to a Section Officer to the Government of India, However, persons who are engaged in selling any locally produced ozone depleting substances, except ozone depleting substances specified in Group VIII of Schedule I, shall make records available by inspection at any reasonable time on request by an officer of the concerned producing enterprise not below in rank to Assistant Manager or on request by an officer of the Ministry of Environment & Forests not below in rank to a Section Officer

SCHEDULE XI

Form 1 page 1

Report on production of ozone depleting substances

Frequency of report : Annually

Last date for submission of report : Within 60 days of end of the year

Name of company:	Period of report : January – December 19				
Name of Group of Ozone Depleting Substances?	Name of Ozone Depleting Substances	Total Quantity produced for All uses *2	Quantities produced for exempted uses within India *3		Quantity produced for supply to countries listed in parts I and II of Schedule-VI
			Quantity produced for feed stock within India	Quantity produced for other exempted use within India	
Group I	CFC13 (CFC-11) CFC(12) (CFC-12) C2F4C12 (CFC-114) C2 F5C1 (CFC-115)				
	TOTAL				

Form 1 – page 2

Name of Group of Ozone Depleting Substances	Name of Ozone Depleting Substances * 1	Total Quantity produced for All uses *2	Quantities produced for exempted uses within India *3		Quantity produced for supply to countries listed in parts I and II of Schedule-VI
			Quantity produced for feed stock within India	Quantity produced for other exempted use within India	
Group II	CF2BrCl (Halon 1211) CF3 Br (Halon 1301) C2F4Br2 (Halon 2402)				
	TOTAL				
Group III	CF3Cl (CFC-13)				
	Total				
Group IV	CC14 (Carbon tetra-Chloride)				
Group V	C2H3C13 (Methy) Chloroform i.e. 1,1,1-trichloroethane)				

Form 1 – Page 3

Name of Group of Ozone Depleting Substances	Name of Ozone Depleting Substances *1	Total Quantity produced for All uses *2	Quantities produced for exemped uses within India *3		Quantity produced for supply to countries listed in parts I and II of Schedule-VI
			Quantity produced for feed stock within India	Quantity produced for other exempted use within India	
Group II	CHFCI (HCFC-21) CHF2CI (HCFC-22) CH2FCI (HCFC-31) C2HF3CL2 (HCFC-123) C4HF4CI (HCFC-124) C2H2F3CI (HCFC-133) CH3CF12 (HCFC-141 b) CH3CF2CI (HCFC – 142b) C3HF5C2 – (HCFC-225) CF3CF-2CHCI2(HCFC-225ca) CF2CICF2HCIF(HCFC-225cb)				
	TOTAL				

Form 1 - Page 4

Name of Group of Ozone Depleting Substances	Name of Ozone Depleting Substances *1	Total Quantity produced for All uses *2	Quantities produced for exemped uses within India *3		Quantity produced for supply to countries listed in parts I and II of Schedule-VI
			Quantity produced for feed stock within India	Quantity produced for other exempted use within India	
1	2	3	4	5	6
Group VII	HBFCs				
Group VIII	(Methyl Bromide (CH3Br)			Total quantity of New Methyl-Bromide produced for Quarantine and Preshipment applications within India and for exports	
				Signature *4 with seal	

Form 1 page 5

Verification

I ..... S/o .....

do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

P ..... Signature *4.....

Date ..... with seal

*1 Please see Schedule I for complete list of ozone depleting substances.

*2 Total production should be given without any deductions. The Ministry of Environment & Forests would make the necessary deductions in accordance with the definition in rule 2.

*3 Please see rule 2(k) and give the total quantity used within India as feedstock and quantity exempted under rule 16 from local production.

*4 The above Form including the verification portion must be signed in case of an individual by the individual himself or a person duly authorized by him-in case of Hindu undivided family by the Karta: in case of a partnership firm. by the managing partner. in case of a company. by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors. and in any other case by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

Form 2 page 1

Data on imports of ozone depleting substances

Frequency of report : Quarterly

Last date for submission of report : Within 30 days of end of the quarter.

Name of Company: _____ Period of report.

Name of ozone depleting substances *1:----------

(in metric tonnes)

Sr. No.	Purchase order No. & date	Bill of Lading no. & date	Total Quantity imported all uses	Quantity of new ozone depleting substance imported to use as			
				*2	*3		
				New	Recovered	Reclaimed	Feedstock	Exempted Uses
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL							

Free on Board (FOB) value $	Free on Board Value (FOB) Rs.	Import licence No. & date	Country from which imported	Name & address of seller	Port of shipment	Port of delivery
9	10	11	12	13	14	15
TOTAL						

Signature *4
with seal

Form 2 page 2

Verification

I ..... S/o .....
do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am making this application in my capacity as ..... and that I am competent to make this application and verify it by virture of ..... A photo/ attested copy of which is enclosed herewith.

Place .....
Date .....

Signature *4.....
with seal

Notes:-

*1 One form should be used for only one ozone depleting substance. Use separate form for each ozone depleting substance. Please see Schedule I for complete list of all ozone depleting substance.

*2 'Recovery' The collection and storage of ozone depleting substance from machinery, equipment vessels etc. during servicing or prior to disposal.

*3 'Reclamation' The reprocessing and upgrading of a recovered ozone depleting substance through such mechanism as filtering, during, distillation and chemical treatment in order to restore the substance to specified standard of performance. If often involves processing 'off side' at a central facility.

*4 The above Form including the verification portion must be signed incase of an individual by the individual himself or a person duly authorized by him, in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of the partnership firm, by the managing partner., in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

Form 3 – page 1

Report on exports of ozone depleting substances

Frequency of report : Quarterly

Last dare for submission of report : Within 30 days of end of the quarter

Name of Company: _____ Period of report:

Name of ozone depleting substances *1:_____

(in metric tonnes)

Sr. No.	Invoice No & date	Bill of Lading no. & date	Quantity exported for all uses		Quantity of new ozone depleting substance imported to use as		
			New	*2 Recovered & Reclaimed	Quarantine & Preshipment application *3	Feedstock	Exempted uses
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL						

Free on Board (FOB) value $	Free on Board (FOB)Value Rs.	Export licence No. & date	Country to which exported	Name & address of buyer	Port of shipment	Port of delivery
9	10	11	12	13	14	15
TOTAL						

Signature *4
with seal

Form 3 page 2

Verification

I ..... S/o .....
do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place .....

Date.....

Signature *4.....

with seal

Notes:-

*1 One form should be used for only one ozone depleting substances. Use separate form for each ozone depleting substances. Please see Schedule 1 for complete list of all ozone depleting substances

*2 'Recovery' The collection and storage of ozone depleting substances from machinery, equipment vessels etc. during servicing or prior to disposal.

'Reclamation' The reprocessing and upgrading of a recovered ozone depleting substances through such mechanism as filtering, during, distillation and chemical treatment in order to restore the substance to specified standard of performance. If often involves processing 'off side' at a central facility.

*3 For Methyl Bromide only.

*4 The above Form including the verification portion must be signed incase of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him, in case of Hindu undivided family, by the Karta. in case of the partnership firm, by the managing partner., in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any case, by a-person incharge of or responsible for the conduct of the business.

Form 4- page 1

Report on sale of ozone depleting substances

Frequency of report : Quarterly
Last date for submission of report : Within 30 days of end of the Quarter

Name of Company: _____ Period of reprot: _____

Part A
(in metric tonnes)

Sr. No.	Name of Ozone Depleting Substance	Quantity of ozone depleting substance				Quantity of Ozone Depleting Substances purchased locally	Name and address of Indian supplier from whom Ozone Depleting Substances was purchased locally
		Produced	*1 imported	*2 Reclaimed	*3 Exported		
Total for each Ozone Depleting Substance							

Form 4 – page 2

Part B

(in metric tonnes)

Sr. No.	Name of Ozone Depleting Substances	Purpose for which *4 Ozone Depleting Substance was sold to the buyer	Quantity of Ozone Depleting Substance sold to the buyer	Name & address of buyer
TOTAL				

Signature *5
with seal

Form 4 – page 3

Verification

I ..... S/o .....
do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place.....
Date.....

Signature *5.....
with seal

Notes:

*1 Full report to be submitted as per Form 2
*2 -do- Form 7
*3 -do- Form 5
*4 Purpose are: (i) Manufacture of aerosols (excluding metered dose inhalers for medical purposes)
(ii) Manufacture of Foam products
(iii) Manufacture of Fire extingushers & fire extinguishing systems
(iv) Manufacture of Mobile Air conditioners

(v) Manufacture of other Refrigerations & Air conditioning products (excluding compressors).
(vi) Solvent use.
(vii) Exempted use.
(viii) Selling.
(ix) Servicing of fire extinguishers or fire extinguishing system.
(x) Metered dose inhalers for medicinal purpose.
(xi) Manufacture of Compressors.
(xii) Others – specify.

Form 4 – page 4

*5 The above Form including the verification portion must be signed incase of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him, in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of the partnership firm, by the managing partner., in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

*6 Use separate form for separate ozone depleting substances.

Form – 5 – page 1

Report on purchase of ozone depleting substances on end use bases

Frequency of report : annually

Last date for submission : Within 30 days of end of calender year.

Name of Company: _____ Period of report : January – December .....

Part A

(in metric tonnes)

Sr. No.	Name of Ozone Depleting Substance	Quantity of Ozone Depleting Substance		Quantity of Ozone Depleting Substances purchased locally	Name and address of Indian supplier from whom Ozone Depleting Substances was purchased locally
		*1 imported	*2 Reclaimed		
Total					

Form 5 – page 2

Part B
(in metric tonnes)

Sr. No.	Name of Ozone Depleting Substances	Name & address of enterprise/firm Ozone Depleting Substances was used	*3* Purpose3 for which Ozone Depleting Substance was used	Quantity of Ozone Depleting Substance used
TOTAL				

Signature *4
with seal

Verification-

I ..... S/o .....
do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place.....
Date.....

Signature *4.....
with seal

Notes:

*1 Full report to be submitted as per Form 2.

*2 Full report to be submitted as per Form 7.

*3 Purpose are: (i) **Manufacture of aerosols (excluding metered dose inhalers** for medical purposes).
(xiii) Manufacture of Foam products.
(xiv) Manufacture of Fire extingushers & fire extinguishing systems.
(xv) Manufacture of Mobile Air conditioners
(xvi) Manufacture of other Refrigerations & Air conditioning products (excluding compressors).
(xvii) Solvent use.
(xviii) Exempted use.
(xix) Selling.
(xx) Servicing of fire extinguishers or fire extinguishing system.
(xxi) Metered dose inhalers for medicinal purpose.
(xxii) Manufacture of Compressors.
(xxiii) Others – specify.

*4 The above Form including the verification portion must be signed incase of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him, in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of the partnership firm, by the managing partner., in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

Form 6 - page 1

Report on use of non ozone depleting substances by beneficiary companies*1

Frequency of report : Annually

Last date for submission : Within 60 days of end of calendar year

Name of Company:_____ Period of report: Jan–Dec. .....

(in metric tonnes)

Sr. No.	Address of Factories	Date of Commencement of manufacturing operations with non-Ozone Depleting Substances	Name of Depleting substances used prior to conversion (if applicable)	Quantity of Ozone Depleting Substance used in a period of 12 month prior to conversion (if applicable)	Purpose for which non-Ozone Depleting Substance is being used *2	Name of non-Ozone Depleting Substance being used	Quantity of non-Ozone Depleting Substance used during the period of report

Total

Signature *3

Form 6 – page 2

Verification

I ..... S/o .....
do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place.....
Date.....

Signature *3.....
with seal

Notes:

*1 This report is to be submitted by all companies whose names have been notified under sub rule (2) of rule 6 or sub-rule (3) of rule 14

*2 Purpose are:
(i) Manufacture of aerosols (excluding metered dose inhalers for medical purposes).
(ii) Manufacture of Foam products.
(iii) Manufacture of Fire extinguishers & fire extinguishing systems.
(iv) Manufacture of Mobile Air conditioners
(v) Manufacture of other Refrigerations & Air conditioning products (excluding compressors).
(vi) Solvent use.
(vii) Exempted use.
(viii) Servicing of fire extinguishers or fire extinguishing system.
(ix) Manufacture of Compressors.
(x) Others – specify.

*3 The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta; in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business

Form 7 – page 1

Report on reclamation of ozone depleting substances

Frequency of report : Annually

Last date for submission : Within 60 days of end of calendar year.

Name of Company ..... Period of report : January – December .....

(in metric tonnes)

Sr. No.	Name of Ozone Depleting Substances *1	Quantity of *2 Ozone Depleting Substances recovered	Name & Address of company/site from which Ozone Depleting Substances was recovered	Quantity of Ozone Depleting Substances was reclaimed3	Name & Address of site at which Ozone Depleting Substances was reclaimed
1	2	3	4	5	6
	TOTAL				

Signature *4
with Seal

Form 7 – page 2

Verification

I ..... S/o .....
do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place.....
Date.....

Signature *3.....
with seal

Notes:

*1 Please see Schedule I for list of all ozone depleting substances.

*2 'Recovery' The collection and storage of ozone depleting substances from machinery, equipment, containment vessels during servicing or prior to disposal.

*3 'Reclamation' The reprocessing and upgrading or recovered ozone depleting substances through such mechanism as filtering drying, distillation and chemical treatment in order to restore the substance to a specified standard of performance. If often involves processing "of-side" at a central facility.

*4 The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

Form – 8

Report on quantity of ozone depleting substances destroyed

Frequency of report : Annually

Last date for submission of report : Within 30 days of end of calendar year

Period of report : January – December .....

Name of Company .....

(in metric tonnes)

Name of Group of Ozone Depleting Substances	Name of Ozone Depleting Substances	Quantities Destroyed *1

Signature *2
with Seal

Verification

I ..... S/o .....
do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place.....
Date.....
Notes:

Signature *2.....
with seal

*1 Quantity destroyed should be calculated on the basis of destruction efficiency of the facility employed.

*2 The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

Form 9 page 1

Form for refrigeration of enterprises producing ozone depleting substances [sub-rule (1) of rule 3]

1. Name of enterprises
2. Address of Registered office (including Tehsil, District, State)

3. Particulars of factories

Sr. No.	Name *1 of Ozone Depleting Substances	Address of factory where Ozone Depleting Substances is produced (inculding Tehsil, District, State)	Date of incorporation or registration	Date of commencement of commercial production
1.				
2.				
3				
4				

4. Name of business house/group to which the enterprise belongs

5. Please give name of Managing Director of Chief Executive.

Form 9 Page 2

6. Please enclose a copy each of the Annual Report, Audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the enterprise for the last three years.

Signature of the applicant *2
with Seal

Verification

I ..... S/o .....
do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place .....
Date .....

Signature *2.....
with seal

Notes

*1 Please see Schedule I for list of all ozone depleting substances.

*2 The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him; in case of Hindu undivided family, by the Karta; in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

* * * * * *

Form 10 - page 1

Form for registration of enterpriese selling ozone depleting substances (sub-rule (1) of rule 6)

1. Name of firm
2. Address of Registered office (including Tehsil: District, State)
3. Date of Registration and the name of Act under: which registered (A copy of such registration to to be attached):
4. Particulars of sales outlet

Sr. No.	Name of Ozone Depleting Substance	Address of sale outlets	Date of start of sale of Ozone Depleting Substance	Name & address of producer/importer of Ozone Depleting Substance from whom Ozone Depleting Substance was purchased during the past twelve months

Form 10 Page 2

5. Name of Proprietor or Chief Executive:
6. Please attach a copy of latest Income Tax Assesment Order:

Signature of the applicant *2 with seal

Verification

I declare that the enterprise/ firm mentioned in Sr. 1 above has not applied for registration under sub-rule (1) of rule 6 of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 with any other registering authority.

I ..... S/o .....

do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place.....
Date.....

Signature *2.....
with seal

Notes

*1 Please see Schedule I for list of all ozone depleting substances.

*2 The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

* * * * * * * * *

Form 11- page 1

Form for registration of enterprises using ozone depleting substances in activities specified in column 2 of Schedule IV

[sub-rule (1) of rule 8]

Part A

Activities relating to manufacture of products using ozone depleting substances

1. Name of the enterprise

2. Address of Registered office (including Tehsil: District, State)

3. Particulars of factories:

Sr. No.	Address of factory where products using Ozone Depleting Substances are produced (including Tehsil, District, State)	Name of products being manufactured *1	Date of incorporation registration	Date of commencement of commercial production

4. Name of business house/group to which the enterprise belongs:

5. Please give name of Managing or chief Executive.

6. Please enclose a copy of the latest Annual : Report, Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the enterprise.

Schedule XI
Form 11
Page.....2

Signature of the applicant *2
with seal

Verification

I declare that the enterprise/ firm mentioned in Sr. 1 above has not applied for registration under sub-rule (1) of rule 6 of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 with any other registering authority.

I ..... S/o .....
do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place.....
Date.....

Signature *2.....
with seal

Notes:

*1 Products to include one of the following:
(i) Aerosols (excluding metered dose inhalers for medicinal purposes); (ii) Foam Products; (iii) Fire Extinguishers or fire extinguishing systems; (iv) Mobile Air Conditioners; (v) Other Regrigeration & Air conditioning products (excluding compressors); (vi) Products where ozone depleting substances are used as solvents; (vii) Metered Dose Inhalers for medicinal lpurpose.

*2 The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

Form 11 page 2

Part B

Activities rekating to servicing of fire extinguishers or fire extinguishing systems

1.	Name of the enterprise/firm	:	
2.	Address of Registered office (including Tehsil, District, State)	:	
3.	Date of Registration and the name of Act under which registered. (A copy of registration to be attached)	:	
4.	Servicing fire extinguishers	:	Yes/No
5.	Servicing fire extinguishing systems	:	Yes/No
6.	Address of servicing outlet	:	
7.	Dare of commencement of servicing activities	:	
8.	Name of Proprietor/ Chief Executive Committee	:	
9.	Please enclose a copy of the latest Annual Report, Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the enterprise or Income Tax Assessment Order.		

Signature of the applicant *1
with seal

Verification

I declare that the enterprise/ firm mentioned in Sr. 1 above has not applied for registration under sub-rule (1) of rule 6 of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 with any other registering authority.

I ..... S/o .....

do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place.....
Date .....

Signature *2.....
with seal

Notes:

*1 The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

* * * * * *

Form 12 – page 1

Report on manufacture, import, export and sale of compressors

Frequency of report : Quarterly

Last date for submission of report : Within 30 days of end of the quarter

Name of Company..... Period of report.....

Sr. No.	Size of Compressor	No. of compressors Produced	Imported	Exported
1	2	3	4	5
TOTAL				

No. of compressor sold in India	Name and address of Indian buyer	Name of refrigerant if compressor was charged at the premises of the company	Quantity of refrigerant used
6	7	8	9
TOTAL			

Signature *1
with Seal

Form 12 Page 2

Verification

I ..... S/o ..... do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place .....
Date .....

Signature *2 .....
with seal

Notes

*1 The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him; in case of Hindu undivided family, by the Karta; in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

Form 13 – page 1*

Form for registration of enterprises manufacturing, importing or exporting compressors

(rule 12)

1 Name of the eneterprise/firm :

2 Address of Registered office (including Tehsil, District, State) :

3 Particulars of factories manufacturing Compressors (for manufacturers) :

Sr. No.	Address of factory where compressors are produced (including Tehsil, District, State)	Date of incorporation or registration	Date of commencement of commercial production
1	2	3	4

4. Particular regarding imports:
(for importers)

Sr. No	Address of companies from whom importing	Date of start of imports
1	2	3
1		
2		

Form 13 - Page 2

5. Particular of sales outlet
(for exporters and/or tranders)

Sr. No	Address of sales outlets	Date of start of sales	Date of start of exports
1	2	3	4
1			
2			

6. Name of business house/group to which the enterprises belongs:
7. Please give name of Managing Director or Chief Executive:
8. Please enclose a copy each of the latest Annual Report, Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account or Income Tax Assessment Order of the enterprises/firm.

Signature of the applicant *1
with Seal

Verification

I declare that the enterprise/ firm mentioned in Sr. 1 above has not applied for registration under sub-rule (1) of rule 6 of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 with any other registering authority.

I ..... S/o .....
do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place.....
Date.....

Signature *1.....
with seal

Form 13 Page 3

Notes.

*1 The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

Form 14

Form for registration *2 of enterprises reclaiming/ destroying ozone depleting substances

(rule 11)

1. Name of the enterprise:
2. Address of Registered office (including : Tehsil, District, State)
3. Particulars of factories:

Sr. No.	Name of Ozone Depleting Substance *3	Address of factory where Ozone Depleting Substances is being reclaimed/destroyed (including Tehsil, District, State)	Date of incorporation or registration	Date of commencement of commercial reclamation destruction
1.				
2.				
3.				
4.				

4. Name of business house/group which The enterprise belongs:
5. Please give name of Managing Director or Chief Executive

Schedule XI
Form 14
Page 2

6. Please enclose a copy each of the latest Annual Report, Audited Balalnce Sheet and Profit & Loss Account of the enterprise.

Signature of the applicant *1
with seal

Verification

I declare that the enterprise/ firm mentioned in Sr. 1 above has not applied for registration under sub-rule (1) of rule 6 of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 with any other registering authority.

I ..... S/o .....
do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place.....
Date.....

Signature *1.....
with seal

Notes:

*1 The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

*2 Please use separate form for reclamation and destruction.

*3 Please see Schedule I for list of all ozone depleting substances.

SCHEDULE – XII

[See rule 6(1), 7]

Part – I

End-use declaration

1. Information regarding seller of ozone depleting substances:

Name of supplier: _____

Address: _____

_____

2. Information regarding purchaser of ozone depleting substances

Name of recipient: _____

Address: _____

_____

Fax: _____

Telephone No. _____

Registration No. _____

Name and address of Registering Authority:

Name of Ozone Depleting Substance	Purpose* I for which Ozone Depleting Substance is purchased	Quantity of Ozone Depleting Substance purchased
		Kg.
		Kg.
		Kg.
		Kg.
		Kg.
		Kg.

6. Has the purchaser ever been convicted of an offence under Indian law applicable in respect of ozone depleting substances?

Yes No

Signature of the Purchaser of the Ozone Depleting Substances With seal*2.

Verification

I ..... S/o. ..... do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am making and verifying this declaration in my capacity as ..... and that I am competent to do so.

Place .....

.....

Signature*3

Date .....

with Seal

Note

*i. Purposes are:

(i) Manufacture of aerosols (excluding metered dose inhalers for medicinal purposes).
(ii) Manufacture of Foam products.
(iii) Manufacture of Fire extinguishers & Fire extinguishing systems.
(iv) Manufacture of Mobile Air Conditioners.
(v) Manufacture of other Refrigerations & Air Conditioning products (excluding compressors).
(vi) Solvents use.
(vii) Exempted use.
(viii) Selling.
(ix) Servicing of fire extinguishers of fire extinguishing systems (applicable for Group II ODS)
(x) Manufacture of metered dose inhalers for medicinal purposes.
(xi) Manufacture of compressors.
(xii) Others – specify (excluding servicing).

*2. Use a separate form for quantities of ozone depleting substances for which the Central Government has granted exemption from these rules.

*3. The above Form including the verification portion must be signed in case of an individual, by himself or a person duly authorised by him, in case of Hindu undivided family, by the Karta, in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorised in that behalf by the Board of Directors, and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

PART - II

A person purchasing ozone depleting substances will produce a copy of certificate of registration issued under sub-rule (1) of rule 8 before the person selling such ozone depleting substances along with the declaration specified in part I above. The copy of such certificate of registration should have been duly attested in case of a company by the Company Secretary or a full time Director of the company, in case of a partnership firm by the Managing partner and in any other case by Public Notary or a Gazetted Government Officer. The person selling ozone depleting substances shall verify particulars given in serial numbers 2, 3 and 4 of declaration specified in part I above with the corresponding particulars mentioned in the certificate of registration.

[F. No. 16/1/96-OC]

A. K. KUNDRA Spl. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.